खण्ड-318, अंक-6
सोमवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1897
(4 अगस्त, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ट-संख्या
उपस्थित सदस्य	469–472
1968–69 तथा 1969–70 की बढ़ती व्यय की मांगें (प्रस्तुत की गईं) ..	472
संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	472
उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	472
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	473
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 (संशोधनों सहित विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	473
उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 (संशोधनों सहित विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	473
सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	473–474
'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार-पत्र द्वारा 28 जुलाई, 1975 की विधान सभा की कार्यवाही के एक अंश के अशुद्ध प्रतिवेदन के शुद्धि-करण की प्रार्थना	474
सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर आश्वासन समिति द्वारा आगे कार्यवाही न करने के निर्णय के सम्बन्ध में सूचना	475–476
उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, 1975 (पुरःस्थापित किया गया।) ..	476
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 (पारित)	476–478
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 (पारित)	478–482
उत्तर प्रदेश फर्नेसों का स्वामित्व विधेयक, 1975 (पारित) ..	482–495
नत्थियां	496–547

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 4 अगस्त, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष. श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--285

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहिनी. श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री

जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह मंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री

मिस्त्रयार खां, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया,श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री

शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनरायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

नोट---स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी उपस्थित थे।

1968-69 तथा 1969-70 की बढ़ती व्यय की मांगें

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वित्तीय वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 की बढ़ती व्यय की मांगों को प्रस्तुत करता हूं।

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 जुलाई, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, 1958 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जुलाई 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक, विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1975 को पारित किया गया था और विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 1 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 496–508 पर)

उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1975 को पारित किया गया था और विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित 2 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 509–519 पर)

सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि जनसंघ के सदस्य श्री रघुनाथ सिंह (जिला ललितपुर) ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने जनसंघ दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और वह अब विधान सभा में एक स्वतन्त्र सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

भारतीय लोक दल के सदस्य श्री मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर) ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय लोक दल की

[श्री अध्यक्ष]

सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और भविष्य में विधान सभा में वह एक निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार-पत्र द्वारा 28 जुलाई, 1975 की विधान सभा की कार्यवाही के एक अंश के अशुद्ध प्रतिवेदन के शुद्धि-करण की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नियाज हसन, कांग्रेस संगठन दल के नेता ने एक आपत्ति की है कि 28 जुलाई, 1975 की सदन की कार्यवाही जो टाइम्स आफ इंडिया में पेज नं0 3, कालम नं0 2, 3 में 30 जुलाई, 1975 को नयी दिल्ली से प्रकाशित हुई है उसमें इस अखबार के शेयर मार्केट करेस्पान्डेन्ट द्वारा दी गयी 28 जुलाई की विधान सभा की जो कार्यवाही छपी है उसमें यह लिखा है कि मैंने मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, 'यह सदन निश्चय करता है कि क्योंकि विधान सभा की वर्तमान सत्र कतिपय अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य करने के लिये आपात्कालीन सत्र के रूप में है, अतएव इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य सम्पादित किया जायेगा और किसी भी अन्य प्रकार का कार्य (जिसके अन्तर्गत प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा किसी असरकारी सदस्य द्वारा उठाये जाने वाले कोई अन्य कार्य शामिल है) इस सत्र के दौरान न तो सदन के समक्ष लाया जायेगा और न उसे सम्पादित किया जायेगा और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में इस विषय पर सभी संगत नियम एतद्द्वारा इस सीमा तक निलम्बित रहेगा"।

....का मैंने समर्थन किया। यह समाचार इस अखबार में इस प्रकार निकला है :

"Mr Niaz Hasan, Leader of the Congress (O) Group approved the resolution."

यह असलियत से परे है। कृपा करके इस अखबार के उक्त प्रतिनिधि को हिदायत दी जाय कि वह खेद प्रकट करते हुए इसका प्रतिवाद करे और जो सही प्रोसीडिंग है वह छापें, जो निम्न प्रकार है :

"Niaz Hasan, Leader of the Congress (O) Group opposed the resolution."

अगर वह सेन्सर की तरफ से गलत छपाया गया हो तो उसकी भी दुरुस्ती कराने की हिदायत दें।

अखबार की कटिंग आपकी जानकारी के लिये संलग्न भेज रहा हूं।

हमारे कार्यवृत्त में (28 जुलाई के) इस प्रकार से है :

"श्री नियाज हसन खां ने यह आपत्ति करते हुए कि मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव से उनके सारे अधिकार ले लिये जा रहे हैं, कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को छोड़ कर अन्य विरोधी दलों के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।"

यह पता नहीं कि टाइम्स आफ इंडिया के शेयर मार्किट करेसपोंडेन्ट कौन हैं लेकिन जो हमारे यहां पर इस अखबार के प्रतिनिधि हैं, वे इसको शुद्ध करा दें।

सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर आश्वासन समिति द्वारा आगे कार्यवाही न करने के निर्णय के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री गोविन्द सिंह नेगी तथा राम चन्द्र बक्श सिंह ने 13 मार्च, 1975 को यह सूचना दी थी कि आश्वासन समिति के चालीसवें प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 के पैराग्राफ 2 पर सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के आचरण पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई है :--

"तदुनुसार सचिव, नगरपालिका विभाग 16 फरवरी, 1973 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे परन्तु आश्वासन की पूर्ति उस समय तक भी नहीं हो सकी थी। अत: उन्हें निदेश दिया गया कि वह 5 दिन के अन्दर विस्तृत सूचना समिति को भेज दें। वांछित सूचना के लिये उन्हें दिनांक 23 अप्रैल, 1973; 21 जून, 1973; 14 अगस्त, 1973 और अक्तूबर, 1973 को स्मरण भी कराया गया। समिति को अत्यन्त खेद है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी होते हुए भी उन्होंने समिति के आदेशों की उपेक्षा की और वांछित सूचना 10 माह तक भी न भेज कर समिति का अपमान किया।"

मैंने 17 मार्च, 1975 को इस प्रश्न को आश्वासन समिति को उसकी राय जानने हेतु निर्दिष्ट कर दिया था। आश्वासन समिति ने, इस सम्बन्ध में मुझे यह प्रतिवेदन दिया है कि "समिति ने सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के व्यवहार के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि उन्होंने समय पर समिति के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और समिति का अनादर किया जिसके लिये उनकी भर्त्सना कर दी गई है। चूंकि एक अपराध पर एक ही बार सजा का विधान है इसलिए अब इस मामले को ड्राप किया जाय और आगे अब कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।"

समिति की संस्तुति को मानते हुए मैंने इस मामले को समाप्त कर दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह मामला समाप्त कर दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि आश्वासन समिति ने सिफारिश तो आपसे की। मेरा निवेदन यह है कि एक दो बार की गल्ती तो क्षम्य होती है, लेकिन उन्होंने यहां से 4-5 बार स्मरण कराने पर भी वांछित सूचना नहीं दी। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ भर्त्सना ही काफी नहीं है। मेरा तो निवेदन यह है कि शासन तो उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर ही सकता है। लेकिन आप शासन को डायरेक्ट करें कि वह सचिव के खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही करे--चाहे चरित्र पंजिका में या रिवर्शन की, वरना परम्परा पड़ जायगी और आये दिन कमेटियां जितनी हैं सबके सामने यही हालत पैदा होती है। सचिव अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपका अभिप्राय यह है कि मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करूं कि वह इसे देखें।

श्री ऊदल--

जी।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

वैसे तो जो आपने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं वह हमें मान्य हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो आश्वासन समिति में हुआ हो अगर कृपया उसे मेरे पास भेज दें तो मैं दिखलवा दूंगा और सचिव ने उत्तर समय से नहीं दिया तो उसकी जांच भी करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

भेज दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, 1975

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, 1975 पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 520–547 पर।)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975†

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे केवल 2-3 मिनट में अपनी बात कहनी है। पहली बात तो यह है कि 1972 में कानून बना था कि जो मेडिकल कालेज या ऐसे कालेज जो चिकित्सा सम्बन्धी हैं जो बिलकुल बिना किसी अथाराइजेशन के गवर्नमेंट के बने या उनकी ऐसी स्थिति भी थी कि बिना मान्यता के कार्य करना चाहते थे, उन्होंने अभिदान के रूप में, दान के रूप में और फीस के रूप में 15-16 हजार रुपये की रकमें ली थीं। 1972 से पहले जैसे-जैसे कालेज खुले थे तो एक ही कालेज था सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज वाराणसी, उसमें ऐक्ट में प्राविधान किया गया था—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक में—कि जिन लड़कों से ऐसी फीस ली गयी है उनको एक महीने के अन्दर अप्लाई करना था और उसके बाद उन्हें पैसा वापस लेने का हक था। चूंकि वह मामला

---

†1 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिट में पैंडिंग था हाई कोर्ट में था, लड़के रुपया वि्द्ड्रा कर नहीं सकते थे और चिकित्सा विभाग देने की स्थिति मे नहीं था इसलिए बहुत से लोग एप्लाई नहीं कर सकते थे। इसलिये इस विधेयक के माध्यम से यह प्राविधान किया जा रहा है कि 31 मार्च, 1976 तक जो लोग अपनी फीस के बारे में एप्लाई कर देंगे तो यह अधिकार ले रहे हैं कि उसकी फीस वापस कर सकते हैं। इतना सा संशोधन है और विशेष तौर से उनको रिलीफ देने के लिए है जिनसे नाजायज तौर से रुपया लेने की बात हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं विचार करने के लिये अपना यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिये ;

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1973 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 में, उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :--

"(ख) उपर्युक्त प्रकार के प्रविष्ट विद्यार्थियों को राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने के लिये विशेष परीक्षा में बैठने के लिये तैयार करने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जायगा, और ऐसा प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा लेने में उपगत व्यय खंड (क) में अभिदिष्ट धन में से काट लिया जायगा, और कोई भी विद्यार्थी दिनांक 31 मार्च, 1976 को या उसके पूर्व अपने द्वारा भुगतान की गयी धनराशि

के अतिशेष की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेगा, तथा निदेशक उसके ऐसे अंश को जो व्यय के बाद बची धनराशि से अनुपातत : उनके लिये उपलब्ध हो, लौटा सकेगा; ' ।

श्री अध्यक्ष--

खंडों में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रभु नारायण--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 †

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी बात सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं । पहली बात तो मुझे यह कहनी है इस सिलसिले में कि इस विधेयक को लाने की मंशा यह है कि सरकार मौजूदा स्थिति में जो अधिकार लेना चाहती है वह इसलिये कि 5000 होम्योपैथिक विद्यार्थियों के इम्तहान की बात इस समय परेशानी में पड़ी हुई है । उसका कारण यह है कि बोर्ड का गठन हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स हैं उनके जो इलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिव्ज हैं उनके चुनाव का मामला रिट में गया और वह स्टे में पड़ा हुआ है । दूसरी स्थिति इस सम्बन्ध में यह है कि जो प्रतिनिधि चुने जा रहे थे अध्यापकों में से, होम्योपैथिक मेडिकल कालेजेज के, उनके सिलसिले में भी रिट हाईकोर्ट में पेंडिंग में पड़ी हुई है । ऐसी स्थिति में सरकार यह अधिकार दे रही है कि जब तक उनका चुनाव सुनिश्चित नहीं हो जाता है तब तक सरकार उनको नामजद कर सकती है । यह अधिकार हम हमेशा के लिये नहीं ले रहे हैं । दूसरी बात, इस विधेयक में यह कही गयी है कि जो इम्तहान की बात है, एफिलियेशन देने की बात है, उसी के साथ-साथ मान्यता खत्म करने की बात है, ये सारे काम बोर्ड करता था । बोर्ड से वह काम सुचारु रूप से नहीं चल पा

---

†1 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है इसलिये उनके दो हिस्से करने की बात हो गयी। शैक्षणिक कार्य फैकल्टी को सुपुर्द किया जाय जिसके डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, होम्योपैथिक कालेज और प्रिंसिपल तथा कानपुर विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे और इसका प्रतिनिधि बोर्ड के माध्यम से चुना हुआ होगा। फैकल्टी जो निर्णय लेगी वह बोर्ड के सामने आयेगा। बोर्ड उसका अनुमोदन करेगा। यदि बोर्ड की राय में मतभेद है तो ऐसी हालत में सरकार के सामने निश्चय के लिये वह बात जायेगी। यह इसलिये करना पड़ा कि होम्योपैथिक कालेजेज में जो अव्यवस्था थी, उसमें शिक्षण के सिलसिले में जो खराबियां पैदा हो गयी हैं उन्हें दूर करने के लिये यह किया जा रहा है। साथ ही साथ इस विधेयक के माध्यम से जो फैकल्टी बनायेंगे सरकार उसको पैसा भी देगी ताकि वह ठीक से कार्य कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 10, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——

संक्षिप्त नाम

1——यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1952 ई० की धारा 4 का संशोधन

2——उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, उसकी धारा 4 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :——

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि खंड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट मेम्बर निर्वाचित नहीं किये जाते हैं, राज्य सरकार उस खण्ड में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग वाले मेम्बरों को नामजद कर सकती है, और इस प्रकार नामजद व्यक्ति उस खण्ड के अधीन मेम्बरों के यथाविधि निर्वाचन तक पद धारण करेंगे।"

धारा 41 का संशोधन

3——मूल अधिनियम की धारा 41 में ——

(क) शब्द "अधिकार" के स्थान पर शब्द "अधिकार और कर्त्तव्य" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (1) में, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 41-क के अधीन संघटित" निकाल दिये जायं।

(ग) खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक वर्ष, संकाय के हाथों में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए, पर्याप्त निधि सौंपना,"

धारा 41-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 41-क में —

(क) उपधारा (2) में,

(1) खंड (घ) में शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खंड (ख) तथा (ग)" के पूर्व शब्द तथा अंक "धारा 4 के" बढ़ा दिये जायं और शब्द "निर्धारित रीति से" के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे" रख दिये जायं।

(2) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा 4 के खंड (ख) के मेम्बर उस खंड के अधीन निर्वाचित नहीं किये जाते हैं किन्तु उस धारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन नामजद किये जाते हैं तब तक इस उपधारा के खंड (ख) और (घ) में उल्लिखित मेम्बर भी राज्य सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति होंगे।"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(5) एक संकाय फंड स्थापित किया जायेगा, और उसके नामे निम्नलिखित धन जमा किया जायगा :—

(क) धारा 41 के खंड (2) के अधीन संकाय के हाथ में सौंपा गया समस्त धन,

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त समस्त ग्रान्ट,

(ग) संकाय द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धन।

(6) उपधारा (5) के अधीन स्थापित फण्ड पर धारा 45 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) संकाय का अध्यक्ष संकाय फण्ड में उपलब्ध धन का आहरण तथा वितरण प्राधिकारी होगा।"

धारा 41-ख का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 41-ख में, खंड (घ) में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "संकाय" रख दिया जाय।

धारा 45 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 45 में, शब्द "इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया" के स्थान पर शब्द "स्टेट बैंक आफ इंडिया" रख दिया जाय।

7--मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) में वर्तमान धारा 55 का प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् --- संशोधन

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा विनियम संकाय की सिफारिश के बिना नहीं बनाया जायगा।"

8--मूल अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :-- धारा 57 का प्रतिस्थापन

"57(1)--इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रखते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मन्डल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा। नियम और विनियम

(2) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टी राज्य सरकार द्वारा न कर दी जाय, और उसे गजट में प्रकाशित न कर दिया जाय।"

9--मूल अधिनियम के परिशिष्ट में, खण्ड (1) में, शब्द "बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संचालित" रख दिये जायं। परिशिष्ट का संशोधन

10--मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकारी आदेश संख्या 492/5-9-102-72, दिनांक 4 फरवरी, 1975 के अनुसरण में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा मार्च, 1975 में संचालित समस्त परीक्षाओं का विधि मान्य होना और सदैव रहना माना जायेगा। बैधीकरण

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975 †

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

मान्यवर आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व बिधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है। हमारे प्रदेश में मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। अब 3-3, 4-4 फ्लैटों वाले और कई मंजिल वाले मकान भी बन रहे हैं। यह सोचा गया कि जब कामन ओनरशिप के मकान बनें तो कामन सुविधायें हों, कास्ट आफ कन्सस्ट्रक्शन भी कम हो तथा कामन फैसिलिटीज के होते हुये यदि कोई एक फ्लैट को बेचना चाहे तो वह बेच सके। अभी तक हमारे यहां इसके लिये कोई कानून नहीं था। 4 मंजिल का अगर कोई मकान होता था तो उसे पूरा ही बेचना पड़ता था या पूरा ही ट्रान्सफर करना पड़ता था। इस विधेयक द्वारा, जैसा कि महाराष्ट्र में है, हम वही कर रहे हैं कि यदि कोई एक या दो फ्लैट को बेचना चाहे या ट्रान्सफर करना चाहे तो वह हो सके। महाराष्ट्र में तो 25-25 मंजिले मकान बनते हैं। वहां जो जिस फ्लैट में रहता है वह उसी का मालिक होता है। वह उसको बेंच या ट्रान्सफर भी कर सकता है। इस विधेयक द्वारा वही सुविधा हम यहां भी करने जा रहे हैं। उसी के लिये यह छोटा सा विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह सुविधा है कि ज्वाइन्ट ओनरशिप के मकान बनें और लोगों के लिये कामन फेसिलिटीज हों। इसमें प्राविजन यह है कि हम फ्लैट उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम 4 फ्लैट्स हों। उससे कम वाले फ्लैट की संज्ञा में नहीं आयेंगे। 4 आदमियों के लिये अगर कोई मकान बना है तो वह उस परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा।

मान्यवर, इसकी एक विशेष बात यह है कि यह आप्सनल है, हमने इसको कम्पलसरी नहीं बनाया है। प्रदेश की जनता चाहेगी तो इसका लाभ उठा सकेगी। जो लोग डिक्लेरेशन देंगे उन्हीं पर यह लागू हो सकेगा। महाराष्ट्र के अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि इससे लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।

इस भवन में अगर इम्प्रूवमेन्ट आदि की जरूरत होगी तो उसके लिये भी यह व्यवस्था है कि एक कामन मैनेजमेंट होगा और वही उसका असेसमेंट करेगा। और उसका असेसमेंट जो होगा वह अन्तिम होगा। चार्ज माना जायेगा बिल्डिंग के ऊपर। इस तरह से यह एक फारवर्ड सोशलिस्टिक और सोशल लेजिस्लेशन है। इसका प्रदेश में स्वागत होगा, और हमारे प्रदेश वालों को सुविधा होगी। इसकी जो रूपरेखा है वह हमने महाराष्ट्र से ली है। महाराष्ट्र ने इस सम्बन्ध में पहला कदम उठाया है। महाराष्ट्र का जो बिल है, इसको कंसाइज करके बंगाल ने अपने यहां एक-एक बिल पास किया है। महाराष्ट्र का जो बिल है वह तो 28 क्लाजेज का है और वेस्ट बंगाल का 18 क्लाजेज का है और

---

† 1 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

हमारा जो बिल है उसमें 22 क्लाजेज हैं। हमने दोनों के अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास किया है। मेरा विश्वास है कि इस बिल से जनता को सुविधा होगी। आज ज्वाइन्ट ओनरशिप का जमाना है। आगे चल कर वह समय भी आ सकता है कि और चीजों में भी ज्वाइन्ट ओनरशिप देना पड़े। ज्वाइन्ट ओनरशिप में जो कठिनाइयां हैं उनका निराकरण करना आवश्यक है, इसलिये यह विधेयक लाया गया है। इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। अपर हाउस से यह पास हो चुका है। वहां चारों तरफ से इसका स्वागत किया गया। मुझे भी ऐसी आशा और विश्वास है कि इस पूरे सदन का इस विधेयक को समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस विधेयक को उन्होंने महाराष्ट्र से लिया है और वहीं से इसको सीखा है क्योंकि वहां इस तरह की बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। अभी अगर आप कानपुर जायं तो मैं आपको बहुत सी जगहें गिना सकता हूं। कानपुर में बहुत से फ्लैट्स सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने बनाये हैं। कुछ तो एक मंजिला हैं और कुछ दो मंजिला हैं, इससे ज्यादा नहीं हैं। मौलाना साहब का कहना है कि कुछ तीन मंजिला भी हैं। ज्यादा जमीन भी उसमें ली गयी है। जमीन की जो समस्या है वह तो अपनी जगह पर है; जहां कहीं भी आप जायं मकानों का निर्माण हो रहा है शहरों में और इस तरह से शहरों का बढ़ाव बड़े जोरों पर हो रहा है। आज जो मूल समस्या है उसकी तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि शहरों को किस तरह से नियन्त्रित करें, किस तरह से इमारतों को बनवायें। शहरों के किनारे की जितनी कीमती जमीनें होती हैं, आज उन जमीनों को किस तरह से प्राइवेट लोग लेकर और सरकार भी उसमें इमारतें बनवाती है। इससे पहले भी सन् 68 में मैंने इस बात का प्रयास किया था कि कम से कम सरकार अधिक नहीं तो 5 मंजिल की इमारतें बनवावे, क्योंकि अधिक मंजिल पर तो पानी पहुंचाने में दिक्कत होती है, लोगों को चढ़ने-उतरने में दिक्कत होती है और बिजली संकट की वजह से बाहरी मुल्कों की तरह ऊपर जाने के लिये यहां लिफ्ट भी नहीं लगवा सकते। लेकिन लोगों की या सरकार की निगाह उस तरफ नहीं गयी। इस बीच हमारी बढ़िया से बढ़िया शहरों के किनारे की जमीनों पर एक मंजिली और दो मंजिली इमारतें प्राइवेट लोगों ने बनवा लीं और प्राइवेट लोगों के पास तमाम जमीनें चली गयीं। बनारस में अभी हाल ही में जब मन्त्री जी गये थे तो श्री राम चन्द्र बक्श सिंह ने 6 या 7 जुलाई को वहां के नगरपालिका की उनसे शिकायत की कि सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली थी लेकिन वहां के लोगों ने मिल जुल कर उस प्लान को ही खत्म करा दिया और सरकार ने उसे छोड़ दिया और प्राइवेट लोगों को फिर वह जमीन दे दी गयी। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ विधेयक पास कर लेने से ही वह काम चलने वाला नहीं है। शहरों के नियन्त्रण करने में मकानों के नियन्त्रण करने में मन्त्री जी को आगे आना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि इससे जो अपना ऊपर वाला फ्लैट बेचना चाहे बेंच सकेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कहीं नीचे का मकान ही खिसक गया तब वे क्या आसमान बेचेंगे? मेरे ख्याल से इस विधेयक में अभी बहुत कमी है। इसको पास कर देने से ही यह लागू होने वाला नहीं है। माननीय मन्त्री जी तो हाउसिंग बोर्ड के बहुत दिनों तक चेयरमैन रहे। लेकिन उनकी चेयरमैनशिप में भी जिस तरह से हाउसिंग का

[श्री ऊदल]

नियन्त्रण और प्लानिंग की जो योजना है, वह ठीक से होनी चाहिये थी, मैं समझता हूं कि वह ठीक से नहीं हुयी। मान्यवर, हमारे यहां की जो हालत है, मैं समझता हूं कि इसको देखते हुये ज्यादा जरूरी था कि 3 मंजिला और 4 मंजिला से ज्यादा मंजिलों के मकान बनें। अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि बहुतों को ओनरशिप देना चाहते हैं। नवल किशोर जी बहुत दिनों से डाला, चुर्क आदि को बड़े-बड़े मोनोपोलिस्ट जो हैं उनको देना चाहते थे। मन्त्री महोदय का जो संकेत है, मकानों की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि हम और बहुत से क्षेत्रों में इस तरह से एक्सपेरीमेन्ट करना चाहते हैं। तो और कौन सा वह एक्सपेरीमेन्ट करना चाहते हैं? डाला देना चाहते हैं, चुर्क देना चाहते हैं, रिहन्ड देना चाहते हैं, किसको वह देना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह टेंडेन्सी सरकार की घातक है। सरकार को खुद नियन्त्रण करना चाहिये अगर नियन्त्रण करने की शक्ति नहीं है तो कोआपरेटिव बेसिस पर 4-5 मंजिल के पैसे लेकर सरकार को मकान खुद बनाकर देना चाहिये। अन्यथा मैं समझता हूं कि इस विधेयक से कोई बहुत भारी लाभ नहीं होने वाला है। मन्त्री महोदय इस पर विचार करें। शहरों का विस्तार हो रहा है। प्राइवेट लोग 1 मंजिला इमारत बना रहे हैं, जमीन बरबाद होती है, नुकसान होता है। 5 मंजिला की इमारत कम से कम बनाकर इसको रेगूलेट करें। तो मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि गम्भीरता से इस पर विचार करें, नहीं तो इस से बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

किसी को इस पर बोलना नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं माननीय सदस्य श्री ऊदल का कि उन्होंने कुछ हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भाषण सुनने के बाद.....

श्री अध्यक्ष—

एक सुझाव मैं भी देना चाहता हूं क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का शासन 3 लाख से बड़ी आबादी पर रोक लगाये कि वहां कारखाने खोलने के लिये तमाम लाइसेंस नहीं देंगे तो प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों की तरफ ध्यान आकृष्ट होगा, उद्योग धंधों की तरफ ध्यान आकर्षित होगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, आपका सुझाव है, एक मार्ग दर्शन है, इस पर हम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन माननीय ऊदल का भाषण सुनने के बाद मान्यवर, मुझे यह लगा, माननीय ऊदल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। 15-20 साल मैंने उनके संसदीय कार्यों को देखा है, कि शायद उन्हें इसको पढ़ने की फुरसत नहीं मिली या तो अवश्य उन्होंने फिर हमारे साथ न्याय नहीं किया। मान्यवर, उन्होंने एक बात कही कि बहुत दिनों से एक बात की मांग

कर रहे हैं कि एक मंजिल से ज्यादा मंजिल के मकान बनें। इस बात में 2 राय की गुंजाइश है। यह सोल्यूशन नहीं है। हमारे देश और प्रदेश में जमीन इतनी मंहगी नहीं है। यह बड़ी फारवर्ड बात तो लगी नहीं कि मकान 6 मंजिला हों। वह कहते हैं कि कम से कम 5 मंजिला हों। मान्यवर, 5 मंजिल के मकान में 5वीं मंजिल पर जाने में बिना लिफ्ट के कठिनाई होती है। मान्यवर, क्या कठिनाई होती है, तीसरी मंजिल में विधायक निवास में जो रहते हैं, उनसे पूछ लें कि क्या कठिनाई होती है ? वह कहते हैं कि कम से कम 5 मंजिला होनी चाहिये तो फिर 10-12-15 मंजिल की उनकी कल्पना है।

श्री ऊदल--

30 मंजिल की।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि हम अमेरिका और रूस से जल्दी गाइड हो जाते हैं। बम्बई में 2-2 हजार रुपये स्क्वायर फिट जमीन है। यहां पर इतना महंगी जमीन नहीं है। हम चाहते हैं कि हम फैसीलिटी दें। आज उसके पास 2 मंजिल हैं और कल को ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसको हमें ऊपर बढ़ाने की स्वच्छंदता (आप्शनल) दें तो वह अच्छी बात होगी। लेकिन फिर भी मैं श्री ऊदल से निवेदन करूंगा कि सिद्धान्त : उनके मत की गुंजाइश है और जो मत व्यक्त किया उसकी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया बल्कि आर्डर भी पास कर दिये हैं कि कम से कम 3 मंजिल से कम मकान नहीं बनेगा, यदि बनेगा तो कैबिनेट की अनुमति लेकर बनेगा। इससे अधिक आपकी बातों का हम क्या आदर कर सकते हैं ? सरकार की तरफ से मैनडेटरी आर्डर चला गया है। जो हमारा बिल है उसमें वही प्राविधान किया है जो आपकी कल्पना है। डेन्सिटी आफ पापुलेशन का सिद्धान्त है कि तीन मंजिल से ऊपर जायं, जो कोड कन्स्ट्रक्शन का है उसमें मकान के सामने जमीन ज्यादा और सड़क चौड़ी छोड़ना पड़ेगा। इसलिये जो जमीन की बचत ऊदल जी की कल्पना में है उतनी नहीं होती है। लेकिन इसको मैं छोड़ता हूं और उसकी ओर चलने का प्रयास करता हूं। इस बिल में उसकी ओर चलने की कोशिश किया है। यदि 5-6 मंजिल का मकान बनायें तो वह बच सकता है कि नहीं और यदि पहली मंजिल का मकान गिर जाय तो वह दुर्भाग्य होगा। लेकिन इसका भी प्राविधान है कि उसकी कीमत आंके कि कितना चार्ज पड़ेगा और वह 3-4 मंजिल का चार्ज माना जायेगा।

मान्यवर, ऊदल जी ने बनारस की बात कही तो वह इस बिल के बाहर है। लेकिन उन्होंने जिस बात पर कहा तो हमने वहां कोई भी जमीन किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं छोड़ी है। सरकार की घोषित नीति है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज जो हैं जिनकी भवन निर्माण की योजना है उनको 25 प्रतिशत जमीन हम देते हैं। वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज इस ओर अग्रसर हो रही थी। जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा कर रहे थे और इसीलिये दो कोआपरेटिव सोसाइटीज के पक्ष में कुछ जमीन हमने छोड़ी जो कि शासन की नीति के अनुसार छोड़ी है। इन शब्दों के बाद मैं पुन : निवेदन करता हूं कि जहां तक इस बिल का सवाल है, जो सिद्धान्त है उसमें दो मतों की गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। अत : मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बिल को पास करे।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 22

अधिनियम का लागू होना

2——यह अधिनियम केवल उस सम्पत्ति पर लागू होगा जिसका एक मात्र स्वामी या जिसके सभी स्वामी सम्यक रूप से ऐसी घोषणा निष्पादित तथा रजिस्ट्री कराकर जिसमें धारा 10 में निर्दिष्ट विशिष्टयां दी हुई हों, उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर दें।

परन्तु कोई भी सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं की जायगी, जब तक कि इसका आवासिक प्रयोजनों के लिये वास्तव में उपयोग न किया जाता हो या उपयोग किया जाना प्रस्थापित न हो :

परन्तु यह और कि ऐसी भूमि का जिस पर कोई भवन स्थित हो, एक मात्र स्वामी या उसके सभी स्वामी उस भूमि को इस शर्त के साथ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर सकेंगे कि वह या वे ऐसी भूमि का पट्टा फ्लैट के स्वामियों को करेंगे और ऐसी दशा में पट्टे की शर्तें तथा निबन्धन निष्पादित किये जाने वाले पट्टे की लिखत की एक प्रतिलिपि ऐसी घोषणा में लगा कर या अन्यथा, घोषणा में प्रकट किये जायेंगे।

परिभाषायें

3——इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,——

(क) "फ्लैट" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति के ऐसे भाग से है जिससे किसी सड़क, मार्ग या राजमार्ग पर अथवा ऐसी सड़क मार्ग या राज-मार्ग तक जाने वाली किसी सामान्य क्षेत्र पर सीधा निकास हो तथा जो सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अपने अविभाजित हित सहित एक स्वतन्त्र आवासिक इकाई हो ;

(ख) "भवन" का तात्पर्य एक ही परिक्षेत्र में स्थित ऐसे किसी भवन या एकाधिक भवनों से है जिनमें कुल मिलाकर चार या उससे अधिक फ्लैट हों ;

(ग) "उपविधियों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों से है ;

(घ) "सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :——

(1) भूमि जिस पर भवन स्थित हो और भूमि तथा भवन के सभी सुखाचार, अधिकार और उपांग ;

(2) भवन की नींव, स्तम्भ, गर्डर, धरन, आलम्ब, मुख्य दीवारें, छतें, हाल, गलियारे, लाबियां, सीढ़ियां, सोपान, अग्नि-सोपान, प्रवेश तथा निकास द्वार ;

(3) तहखाने, अध: कोष्ठ, प्रांगण, उद्यान, गाड़ी खड़ी करने के स्थान और भंडारकरण के स्थान ;

(4) सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये सेवायोजित प्रतिहारों या व्यक्तियों के वास के लिये परिसर ;

(5) सामान्य सेवायें जैसे शक्ति, प्रकाश, गैस, गर्म या ठंडा पानी, तापन, प्रशीतन, वातानुकूलन तथा सीवर व्यवस्था ;

(6) एलीवेटर, टैंक, पम्प, मोटर, कम्प्रेसर, पाइप तथा नाली और साधारणत : सामान्य उपयोग के लिये विद्यमान सभी साधित्र तथा संस्थापन ;

(7) ऐसी अन्य सुविधायें जिनके लिये घोषणा में विशेषत : व्यवस्था की जाय ;

(8) सम्पत्ति के ऐसे अन्य सभी भाग जो उसके अस्तित्व, अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हों या साधारणत : सामान्य उपयोग में हों ;

(ङ) "सामान्य व्यय" का तात्पर्य सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के प्रशासन, अनुरक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन के व्ययों तथा फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा फ्लैटों के स्वामियों के प्रति निर्धारित सभी अन्य राशियों से है ;

(च) "सामान्य लाभ" का तात्पर्य सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से समस्त आय, किराया, लाभ तथा राजस्व के उस अतिशेष से है जो सामान्य व्यय को काटने के पश्चात् बचे ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन नियुक्त आवास आयुक्त से है ;

(ज) "घोषणा" का तात्पर्य ऐसी लिखित से है जिसके द्वारा कोई सम्पत्ति एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की जाय ;

(झ) "सीमित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं" का तात्पर्य उन सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से है जिन्हें घोषणा में अन्य फ्लैटों को अपवर्जित करके किसी फ्लैट या किन्हीं फ्लैटों के उपयोग के लिये आरक्षित अभिहित किया जाय ;

(ञ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ट) "सम्पत्ति" में कोई भूमि उस पर निर्मित या निर्माण के लिए प्रस्थापित कोई भवन तथा सामान्य क्षेत्र और सुविधायें समाविष्ट हैं।

फ्लैटों का अन्तरणीय तथा दाय योग्य सम्पत्ति होना

4.—(1) प्रत्येक फ्लैट का स्वामी घोषणा के अनुसार अपने फ्लैट के एकल स्वामित्व तथा कब्जे का हकदार होगा।

(2) धारा 2 के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई फ्लैट सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अपने अविभाजित हित सहित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा अन्तरणीय स्थावर सम्पत्ति होगा :

परन्तु किसी फ्लैट का और ऐसे फ्लैट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत का, किसी भी प्रयोजन के लिये विभाजन या अन्तर्विभाजन नहीं किया जायगा।

सामान्य क्षेत्र और सुविधायें

5—(1) प्रत्येक फ्लैट का स्वामी सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में, घोषणा में अभिव्यक्त प्रतिशत के अनुसार, अविभाजित हित का हकदार होगा।

(2) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में प्रत्येक फ्लैट के स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में जैसा कि वह घोषणा में अभिव्यक्त हो, समस्त फ्लैटों के स्वामियों की सहमति के बिना जो इस अधिनियम की अपेक्षानुसार सम्यक् रूप से निष्पादित तथा रजिस्ट्रीकृत की गई संशोधित घोषणा में अभिव्यक्त हो, कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत को उस फ्लैट से, जिससे वह अनुलग्न हो, पृथक नहीं किया जायगा, और वह फ्लैट के साथ हस्तान्तरित अथवा विल्लंगमित समझा जायगा, भले ही हस्तान्तरण-पत्र या अन्य लिखत में ऐसा हित अभिव्यक्ततः उल्लिखित न हो।

(4) सामान्य क्षेत्र और सुविधायें अविभाजित रहेंगे, और उसके विभाजन या प्रविभाजन के लिये किसी फ्लैट के स्वामी या अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर कोई वाद नहीं लाया जायेगा जब तक कि सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबन्धों से प्रत्याहृत न कर ली गई हो।

(5) प्रत्येक फ्लैट का स्वामी सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये जिनके लिये वे आशयित हों, अन्य फ्लैटों के स्वामियों के विधिपूर्ण अधिकारों को प्रतिबाधित या अधिक्रमित किये बिना कर सकेगा।

(6) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के अनुरक्षण, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन और उनमें कोई परिवर्द्धन या सुधार करने से सम्बन्धित कार्य इस अधिनियम और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(7) फ्लैट के स्वामियों के संगम को प्रत्येक फ्लैट में किन्हीं भी सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के जो वहां हों, या जो वहां से सुगम हों, अनुरक्षण, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिये अथवा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं को अथवा अन्य फ्लैटों को होने वाले किसी नुकसान को रोकने के लिये उनमें आपाती मरम्मत के लिये, युक्ति-युक्त समय के दौरान, समय-समय पर पहुंच का अप्रतिसंहरणीय अधिकार होगा जिसका प्रयोग संगम की ओर से प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड द्वारा ऐसी सहायता से जो, यथास्थिति, प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड आवश्यक समझे, किया जायगा।

उपविधियों, प्रसंविदाओं आदि का अनुपालन

6—प्रत्येक फ्लैट का स्वामी उपविधियों तथा घोषणा में उपवर्णित प्रसंविदाओं, शर्तों तथा निर्बन्धनों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और उसके द्वारा उनमें से किसी का भी अनुपालन न किया जाना फ्लैटों के स्वामियों के संगम की ओर से प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड के अनुरोध पर, या समुचित मामले में किसी फ्लैट के व्यथित स्वामी द्वारा, नुक्सानी की वसूली के लिये या अन्य अनुतोष अथवा अनुतोषों के लिये कार्यवाही करने का आधार होगा।

कतिपय कार्य का प्रतिषिद्ध होना

7—किसी फ्लैट का स्वामी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सम्पत्ति अथवा दायित्व की सुदृढ़ता या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो और वह न तो कोई सारवान संरचना करेगा और न कोई अतिरिक्त तहखाना या अधःकोष्ठ खोदेगा।

फ्लैटों पर विल्लंगम

8—(1) उस कालावधि के दौरान जब सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन रहे, सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई विल्लंगम सृजित नहीं किया जायगा :

परन्तु ऐसी कालावधि के दौरान प्रत्येक फ्लैट पर तथा ऐसे फ्लैट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत पर उसी रीति से कोई विल्लंगम सृजित किया जा सकेगा जिस रीति से व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन किसी अन्य पृथक सम्पत्ति खण्ड के सम्बन्ध में विल्लंगम सृजित किया जाता है।

(2) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के लिये किये गये श्रम तथा दी गई सामग्री के बारे में, यदि वह इस अधिनियम, घोषणा या उपविधियों के अनुसार फ्लैटों के स्वामियों के संगम, प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हों, यह समझा जायगा कि उसे प्रत्येक फ्लैट के स्वामी की अभिव्यक्त सम्मति से किया गया या दिया गया है और वह सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अधीन प्रत्येक फ्लैट पर भार या विल्लंगम के लिये आधार होगी तथा उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन होगी।

(3) (क) दो या उससे अधिक फ्लैटों पर संयुक्त रूप से किसी भार या विल्लंगम के प्रभावी होने की दशा में, पृथक-पृथक फ्लैटों के स्वामी अपने-अपने फ्लैटों की तथा ऐसे फ्लैटों से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत की, घोषणा में दिये गये प्रतिशत के अनुसार, प्रत्येक प्रभावित फ्लैट पर आरोप्य भिन्न या अनुपाती धनराशि का भुगतान करके भार या विल्लंगम से हटा सकेंगे।

(ख) ऐसी किसी संदाय, उन्मोचन अथवा अन्य तुष्टि के पश्चात् फ्लैट और उससे अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत, इस प्रकार प्रदत्त, तुष्ट अथवा उन्मोचित भार या विल्लंगम से तत्पश्चात् मुक्त और बरी हो जायेंगे।

(ग) ऐसा आंशिक संदाय, तुष्टि या उन्मोचन ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई भार या कोई अन्य विल्लंगम हो, असंदत्त, अतुष्ट या अननुमोचित किसी फ्लैट और उससे अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत पर, उसके अधिकार को प्रवर्तित कराने की कार्यवाही कराने से निवारित नहीं करेगा ।

सामान्य लाभ तथा व्यय

9——सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में फ्लैटों के स्वामियों के अविभाजित प्रतिशत के अनुसार, उनके बीच सम्पत्ति का सामान्य लाभ बांटा जायगा और सामान्य व्यय भारित किया जायगा ।

घोषणा की विषय वस्त

10——(1) धारा 2 में निर्दिष्ट घोषणा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रस्तुत की जायगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :——

(क) सम्पत्ति का वर्णन अर्थात् उस भूमि का वर्णन जिस पर भवन स्थित है या स्थित किया जाने वाला है और क्या वह भूमि माफी की है या पट्टाधृत है और क्या भूमि का कोई पट्टा धारा 2 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार दिया जाना है और भवन या प्रस्थापित भवन का वर्णन जिसमें मंजिलों तथा तहखानों की संख्या तथा फ्लैटों की संख्या उल्लिखित की जायगी ;

(ख) सम्पत्ति में स्वामी या स्वामियों के हित के स्वरूप ;

(ग) वर्तमान विल्लंगम, यदि कोई हो, जिससे सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ;

(घ) प्रत्येक फ्लैट का वर्णन जिसमें उसकी अवस्थिति, लगभग क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, निकटस्थ सामान्य क्षेत्र जिस पर उसका निकास हो तथा उसकी समुचित पहचान के लिये आवश्यक कोई भी अन्य आधार–तथ्य ;

(ङ) सीमित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का वर्णन ;

(च) सीमित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं, यदि कोई हों, का वर्णन जिसमें यह उल्लिखित किया जायगा कि किन फ्लैटों के लिये उनका उपयोग आरक्षित है ;

(छ) सम्पत्ति और प्रत्येक फ्लैट का मूल्य तथा सभी प्रयोजनों के लिये जिनके अन्तर्गत मतदान भी है प्रत्येक फ्लैट से अनुलग्न और उसके स्वामी का सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत ।

अधिनियम के उपबन्धों से प्रत्याहरण

11——(1) समस्त फ्लैटों के स्वामी तदर्थ निष्पादित किये गये लिखत द्वारा सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों से प्रत्याहृत कर सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों से सम्पत्ति को प्रत्याहृत कर दिये जाने पर यह समझा जायगा कि वह फ्लैटों के स्वामियों के सामान्य स्वामित्व में है और उस सम्पत्ति में ऐसे प्रत्येक स्वामी का अंश वह प्रतिशत होगा जो सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में ऐसे स्वामी के स्वामित्व में हों।

(3) किसी भी फ्लैट को प्रभावित करने वाला कोई विल्लंगम सम्पत्ति में फ्लैट के स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में, वर्तमान पूर्विकता के अनुसार जैसा कि इसमें व्यवस्थित है, अन्तरित समझा जायगा।

(4) उपधारा (1) में व्यवस्थित प्रत्याहरण बाद में सम्पत्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पुनः कर दिया जाना किसी प्रकार से वर्जित न करेगा।

घोषणा आदि के लिखतों का अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकरणीय होना

12—धारा 10 में निर्दिष्ट घोषणा या उसका कोई संशोधन या धारा 11 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्धों से किसी सम्पत्ति के प्रत्याहरण से सम्बन्धित समस्त लिखतें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अर्थान्तर्गत अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकरणीय लिखतें समझी जायंगी।

उपविधियां

13—(1) प्रत्येक सम्पत्ति का प्रबन्ध ऐसी उपविधियों के अनुसार किया जायगा जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई जायें।

(2) उपविधियों में अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जायगी, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिसके अनुसार फ्लैटों के स्वामियों का संगम बनाया जायगा, फ्लैटों के स्वामियों में से प्रबन्धक बोर्ड का निर्वाचन, बोर्ड गठित करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऐसे बोर्ड के उन सदस्यों की संख्या जो प्रति वर्ष निवृत्त होंगे, बोर्ड की शक्तियां तथा उसके कर्त्तव्य, बोर्ड के सदस्यों को पद से हटाने का ढंग, सचिव या प्रबन्धक को नियुक्त करने की बोर्ड की शक्ति, ऐसे सचिव या प्रबन्धक को शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन ;

(ख) फ्लैटों के स्वामियों के अधिवेशन बुलाने का ढंग और गण-पूर्ति के लिये उनकी संख्या;

(ग) अध्यक्ष का, जो बोर्ड के तथा फ्लैटों के स्वामियों के संगम के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, निर्वाचन ;

(घ) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का अनुरक्षण, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन और उसके लिये संदाय ;

(ङ) फ्लैटों के स्वामियों से सामान्य व्यय के अंश को वसूल करने की रीति ;

(च) कोई अन्य विषय जो सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक समझा जाय।

पृथक निर्धारण

14—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक फ्लैट तथा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित में उसके प्रतिशत को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहणीय रेट तथा कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पृथक सम्पत्ति समझा जायगा ।

सामान्य व्ययों के लिये सम्पत्ति का भार

15—किसी फ्लैट पर प्रभार्य सामान्य व्ययों के अंश के लिये फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा निर्धारित सभी धनराशियां ऐसे फ्लैट पर, सिवाय उस भार के, यदि कोई हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय करों के संदाय के लिये हो, अन्य सभी भारों से पूर्विक भार होगी ।

बीमा

16—(1) प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड को, यदि घोषणा या उपविधियों द्वारा या फ्लैटों के स्वामियों के बहुमत द्वारा अपेक्षा की जाय तो, अथवा ऐसे बन्धकदार के अनुरोध पर जिसको किसी फ्लैट के सम्बन्ध में प्रथम बन्धक किया गया हो, सम्पत्ति का अग्नि और ऐसे अन्य परिसंकटों से हानि के या नुकसान के विरुद्ध, ऐसी शर्तों पर तथा उतनी धनराशियों के लिये जिनके लिये अपेक्षा की जाय या अनुरोध किया जाय, बीमा कराने का प्राधिकार होगा और वह उसका बीमा करायेगा ।

(2) सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी बीमा कवरेज घोषणा में निश्चित प्रतिशतों के अनुसार फ्लैटों के स्वामियों में से प्रत्येक के लिये न्यासी के रूप में ऐसे प्रबन्ध के या फ्लैटों के स्वामियों के संगम के प्रबन्धक बोर्ड के नाम से लिखा जायगा ।

(3) ऐसे बीमा से सम्बद्ध किश्तें सामान्य व्यय होंगी ।

(4) ऐसे बीमे के पूर्ववर्ती उपबन्धों से प्रत्येक फ्लैट के स्वामी के अपने लाभ के लिये अपने फ्लैट का बीमा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सम्पत्ति के विनाश या नुकसान पर व्ययन

17—यदि समस्त सम्पत्ति या उसके भाग का नुकसान या विनाश होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा यह अवधारित न किया जाय कि उसकी मरम्मत करना है या उसका पुनर्संनिर्माण या विनिर्माण करना है, तब और उस दशा में—

(क) सम्पत्ति के बारे में यह समझा जायगा कि वह फ्लैटों के स्वामियों के सामान्य स्वामित्व में है ;

(ख) सामान्य स्वामित्व वाली सम्पत्ति में प्रत्येक फ्लैट के स्वामी का जो अविभाजित हित होगा वह अविभाजित हित का वह प्रतिशत होगा जो सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में ऐसे स्वामी के स्वामित्व में पहले से हो ;

(ग) किसी भी फ्लैट को प्रभावित करने वाले कोई विल्लंगम वर्तमान पूर्विकता के अनुसार सम्पत्ति में फ्लैट के स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में जैसा कि इसमें व्यवस्थित है, अन्तरित समझे जायेंगे ;

(घ) किसी फ्लैट के स्वामी के वाद पर सम्पत्ति के सम्बन्ध में विभाजन की कार्यवाही की जा सकेगी और उस दशा में सम्पत्ति के बीमा के शुद्ध आगम सहित, यदि कोई हो, विक्रय के शुद्ध आगम को एक निधि समझा जायगा तथा उसे, फ्लैटों के स्वामियों के समस्त सम्बन्धित अंशों का उस सीमा तक जो इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो,तथा सम्पत्ति में प्रत्येक फ्लैट के स्वामी के स्वामित्व में उसके अविभाजित हित पर समस्त भारों का, पहले भुगतान करने के पश्चात् समस्त फ्लैटों के स्वामियों में उसी प्रतिशत के अनुसार विभक्त किया जायगा जो सम्पत्ति में प्रत्येक स्वामी के स्वामित्व के अविभाजित हित प्रतिशत के बराबर हो ।

विधिक कार्यवाहियां

18—(1) किसी फ्लैट के स्वामी के अधिकारों को परिसीमित किये बिना दो या अधिक फ्लैटों के स्वामियों की ओर से सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से अथवा एक से अधिक फ्लैटों से संबंधित किसी वाद हेतुक के सम्बन्ध में जैसे उनके अपने-अपने हित प्रतीत हों, प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड द्वारा, दोनों में से किसी भी दशा में प्रबन्धक बोर्ड के विवेकानुसार वाद लाया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी ।

(2) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं या एक से अधिक फ्लैटों से सम्बद्ध किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में, दो या अधिक फ्लैट के स्वामियों पर आदेशिका की तामील उस व्यक्ति पर की जा सकेगी जिसे आदेशिका की तामील प्राप्त करने के लिये घोषणा में पदाभिहित किया गया हो ।

फ्लैटों के स्वामियों, किरायेदारों आदि पर अधिनियम आबद्धकर होगा

19—(1) समस्त फ्लैटों के स्वामी, ऐसे स्वामियों के किरायेदार, स्वामियों तथा किरायेदारों के कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग का किसी रीति से प्रयोग करेंगे, इस अधिनियम के और घोषणा और उपविधियों के अधीन होंगे ।

(2) इस अधिनियम, घोषणा या उपविधियों के अधीन नियत मतदान प्रतिशत के अनुसार फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा विधिपूर्वक किये गये समस्त करार, विनिश्चय तथा अवधारण समस्त फ्लैटों के स्वामियों पर आबद्धकर समझे जायेंगे ।

असंदत्त सामान्य व्ययों के लिये विक्रेता आदि का संयुक्त और पृथक दायित्व

20—(1) किसी फ्लैट के विक्रय या अन्य अनुदान पर, उस फ्लैट का क्रेता या अनुदानगृहीता ऐसे विक्रय या अनुदान के समय तक के सामान्य व्ययों में से विक्रेता या अनुदाता के अंश के लिये उसके प्रति समस्त असंदत्त निर्धारणों के लिये, विक्रेता या अनुदाता के साथ संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा किन्तु इससे क्रेता या अनुदानगृहीता द्वारा उसके लिये संदत्त की गई धनराशि को विक्रेता

या अनुदाता से वसूल करने के क्रेता या अनुदानगृहीता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) ऐसा कोई भी क्रेता या अनुदानगृहीता सचिव या प्रबन्धक बोर्ड से ऐसा विवरण पाने का हकदार होगा जिसमें विक्रेता या अनुदाता के संबंध में असंदत्त निर्धारण की धनराशि दी हुई हो और ऐसे फ्लैट के सम्बन्ध में सामान्य व्ययों के किसी ऐसे असंदत्त अंश के लिये जो उसमें दी गई धनराशि से अधिक हो, न तो क्रेता या अनुदान गृहीता दायी होगा और न विक्रय या अनुदत्त किया गया फ्लैट किसी भार के अधीन होगा ।

शंकाओं का दूर किया जाना

21--शंकाओं को दूर करने के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रत्येक फ्लैट पर जिसके साथ उसके सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में उसका अविभाजित हित भी है, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपबन्ध किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

22--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र हो रहा हो कुल तीस दिन की कालावधि पर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकेगी, रखे जायेंगे , और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है, कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और खंड 22 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

चार या उससे अधिक फ्लैटों वाले भवनों में अलग-अलग फ्लैटों के स्वामित्व और उपयोग से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम आपको धन्यवाद के साथ उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
4 अगस्त, 1975।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 473 पर)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ। विधान परिषद् द्वारा निकाले गये अंश कोष्ठक "[ ]" में और उसके द्वारा जोड़े गये अंश अधोरेखांकित हैं)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1860 के अधिनियम संख्या 21 की धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में तथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"3—(1) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय के पते के, जो उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा, ब्यौरे सहित ऐसा ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये एक सौ रुपये की फीस संदत्त की जायगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिये, स्वविवेकानुसार लोक सूचना, अथवा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकेगा और सोसाइटी की रजिस्ट्री करने के पूर्व अपने द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा, यदि सोसाइटी को इस प्रकार इन्कार किये जाने के विरुद्ध कारण

बताने का अवसर दिये जाने पश्चात् रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि :—

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के नाम के ठीक समान है ;

(ख) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसके नाम में किसी ऐसे शब्द अर्थात् "संघ", "राज्य", "भूमि बन्धक", "भूमि विकास", "सहकारिता", "गांधी" "रिजर्व बैंक", का अथवा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की स्वीकृति, अनमोदन या संरक्षण अभिव्यक्त या अन्तर्हित करने वाले किसी शब्द का, अथवा किसी ऐसे शब्द का जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय से कोई सम्बन्ध इंगित हो अथवा इंगित प्रकल्पित हो, प्रयोग किया गया है, अथवा उसका नाम ऐसा है, जिससे जनता के या इस अधिनियम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों के अन्यथा प्रवंचित होना सम्भाव्य है ;

(ग) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसका कोई एक या एकाधिक उद्देश्य धारा 1 तथा 20 में उल्लिखित उद्देश्य नहीं हैं; अथवा

(घ) उसके उद्देश्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल हैं ।

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम में शब्द 'रजिस्ट्रार' से राज्य सरकार द्वारा, इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है, जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्तियां, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्रदत्त की जायं ।"

नई धारा 3–क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"3–क (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र, दिये जाने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा :

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा ।

(2) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हुई हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन देने तथा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को एक बार में दो वर्षों के लिये नवीकृत कराने की हकदार होगी :

परन्तु उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की दशा में, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार कर देगा यदि उसे इस प्रकार इन्कार करने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाय कि धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई भी कारण उसके सम्बन्ध में विद्यमान है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को निम्नलिखित संदत्त किया जायगा :—

(क) दस रुपये की फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल किया जाय ;

(ख) पांच रुपये की अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर दाखिल किया जाय ;

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दो रुपये की दर से अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाय।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ वह प्रमाण पत्र होगा जिसे नवीकृत कराना है जब तक कि रजिस्ट्रार उसके हानि या उसके नाश हो जाने के आधार पर अथवा अन्य पर्याप्त कारण से इससे अभिमुक्त न कर दे।

(5) कोई सोसाइटी जो अपने रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी अवधि की जिसके लिये, प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर इस धारा के अनुसार नवीकृत नहीं कराती, अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारण से, उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी नवीकरण के लिये आवेदन पचास रुपये की फीस देने पर मंजूर कर सकेगा।

(6) जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण उपधारा (2) या उपधारा (5) के अनुसार किया जाय तो ऐसा नवीकरण उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के दिनांक से प्रवृत्त होगा।"

धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 को पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

["(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सूची के साथ रजिस्ट्रार को सोसाइटी के नियमों की एक प्रति जो अद्यतन शुद्धकृत हो और उक्त शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा शुद्ध प्रति प्रमाणित हो, और पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे के संतुलन-पत्र की एक प्रति भी भेजी जायगी।"]

"(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सूची के साथ रजिस्ट्रार को संगम के ज्ञापन (जिसके अन्तर्गत धारा 12 के आधीन किया गया कोई परिवर्तन या विस्तार या न्यूनन भी सम्मिलित है) और सोसाइटी के नियमों की एक प्रति जो अद्यतन शुद्धकृत हो और उक्त शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा शुद्ध प्रति प्रमाणित हो, और पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे के सन्तुलन पत्र की एक प्रति भी भेजी जायेगी।"

नयी धारा 4-क का बढ़ाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"4-क--सोसाइटी के नियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति और सोसाइटी के पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना, जो शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा प्रमाणित हो, परिवर्तन किये जाने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायगी।"

नियमों में परिवर्तन आदि की सूचना रजिस्ट्रार को दी जायगी

नयी धारा 12-क 12-ख, 12-ग, और 12-घ का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :--

"12-क--इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपनी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों की सम्मति से, इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

नाम में परिवर्तन

12-ख (1) धारा 12 के अधीन उद्देश्यों में या धारा 12-क के अधीन नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सोसाइटी के सचिव तथा किन्हीं अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हों, रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

[नाम में परिवर्तन] नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन की सूचना

(2) जहां कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि सोसाइटी के [नाम के सम्बन्ध में और नाम में] उद्देश्य या नाम के सम्बन्ध

में और यथास्थिति उद्देश्य या नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है वहां वह, धारा 12–ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नाम में परिवर्तन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से प्रभावी होगा ।

[नाम में परिवर्तन] नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन का प्रभाव

12–ग––[सोसाइटी के नाम में] सोसाइटी के उद्देश्यों या नाम में परिवर्तन से सोसाइटी के किन्हीं अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाहियां त्रुटियुक्त होंगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती थी, या प्रारम्भ की जा सकती थी, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उस नये नाम से जारी रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेगी ।

कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

12–घ–(1)–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रद्द कर सकेगा :––

(क) सोसाइटी का या उसके नाम का या उसके नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल था ;

(ख) उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्थापित क्रिया–कलाप समिति के उद्देश्यों का विनाश करने वाले अथवा लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं, या हैं, या होंगे :

परन्तु किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि सोसाइटी को अपने नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन करने अथवा उसके सम्बन्ध में, किये जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को की जा सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।"

धारा 13 का संशोधन

7––मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "सोसाइटी का मुख्य भवन" के स्थान पर शब्द "सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" रख दिये जायं।

नई धारा 13–क तथा 13–ख का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

विघटन के लिये आवेदन करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

"13–क–(1) जहां कि रजिस्ट्रार की राय में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हो कि धारा 13–ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार विद्यमान है वहां वह सोसाइटी को नोटिस भेजेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उतने समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताये कि सोसाइटी विघटित क्यों न कर दी जाय।

(2) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व अथवा ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करें, सोसाइटी कोई कारण बताने में असफल रहती है अथवा बताये गये कारण को रजिस्ट्रार असन्तोषजनक समझे तो रजिस्ट्रार धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय को, सोसाइटी के विघटन का आदेश देने के लिये समावेदन कर सकेगा।

न्यायालय द्वारा-विघटन

13–ख—(1) धारा 13–क या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर अथवा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के एक बटा दस से अन्यून सदस्यों द्वारा दिये गये आवेदन पर धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन का आदेश दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और यह न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी का विघटन किया जाय ;

(ख) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या घटकर सात से कम हो गई है ;

(ग) सोसाइटी के ऐसे आवेदन के दिनांक के पूववर्ती तीन वर्षों से अधिक से कार्य करना बन्द कर दिया है ;

(घ) सोसाइटी अपने ऋणों का संदाय करने में अथवा अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है ; या

(ङ) सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा 12–घ के अधीन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उसके क्रिया–कलाप अथवा

प्रस्थापित क्रिया–कलाप लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं या है, अथवा होंगे ।

(2) उपधारा (1) या धारा 12–घ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के तदर्थ आवेदन पर, सोसाइटी का इस आधार पर विघटन करने का आदेश दे सकेगा कि सोसाइटी के क्रिया-कलापों से लोक न्यूसेन्स होता है, अथवा अन्यथा लोक नीति के विरुद्ध हैं ।

(3) जब उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी के विघटन का आदेश दिया जाय तब सोसाइटी की सम्पत्ति उसके दावों तथा दायित्वों और उसके काम-काज के अन्य किसी समायोजन के लिये सभी आवश्यक कारवाई ऐसी रीति से होगी जो न्यायालय निदेशित करे ।"

नयी धारा 14–क का बढ़ाया जाना

9––मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"14–क––धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी धारा 13 के अधीन विघटित किसी समिति के सदस्यों के लिये ऐसी समिति के विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा यह अवधारित करना विधि पूर्ण होगा कि सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् बची हुई कोई भी सम्पत्ति धारा 1 में निर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों के निमित्त उपयोग करने के लिये सरकार को दे दी जायगी ।"

विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का निपटारा

नयी धारा 16–क का बढ़ाया जाना

10––मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"16–क––कोई व्यक्ति जो अननुमोदित दिवालिया हो अथवा जिसे किसी सोसाइटी या निगमित निकाय के बनाये जाने, उसकी प्रोन्नति, उसके प्रबन्ध अथवा कामकाज का संचालन करने के सम्बन्ध में किसी अपराध के लिये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये, सिद्ध दोष ठहराया गया हो, शासी निकाय या सदस्य या सोसाइटी का प्रधान सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने और होने के लिये अनर्हं होगा ।"

सोसाइटी का पद धारण करने के लिये अनर्हता

धारा 19 का संशोधन

11––मूल अधिनियम की धारा 19 में––

(1) शब्द "हर निरीक्षण के लिये एक रुपये की फीस देकर" के स्थान पर शब्द "ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" रख दिये जायें और

(2) शब्द "ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये दो आने देकर" के स्थान पर शब्द "ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" रख दिये जायें ।

नयी धारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 का बढ़ाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :—

रजिस्ट्रार की सूचना मांगने की शक्ति

"22—(1)—रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन उस सोसाइटी द्वारा दाखिल किये गये किन्हीं दस्तावेजों के सम्बन्ध में लिखित रूप से ऐसी सूचना या दस्तावेज, ऐसे समय के भीतर जो सोसाइटी द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो सप्ताह से अन्यून हो, जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश प्राप्त होने पर, प्रधान, सचिव या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करे ।

सम्परीक्षा

23—(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 22 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष का अपना लेखा, अथवा किसी विशिष्ट वर्ष के अपने आय–व्यय के विवरण की प्रति जो किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार सोसाइटी के अनुरोध पर ऐसे लेखे तथा विवरण को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह अनुमोदित करे सम्परीक्षित कराने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुज्ञा दे, प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष के लेखों की सम्परीक्षा करा सकेगा और ऐसी सम्परीक्षा के खर्चे उस सोसाइटी से वसूल कर सकेगा ।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन सम्परीक्षा के लिये अपने लेखों या अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में उपेक्षा करती है या उससे इन्कार करती है अथवा, रजिस्ट्रार की राय में सम्यक् शीघ्रता से सम्परीक्षा

किये जाने के लिये अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्यवाई कर सकेगा।

सोसाइटी के काम-काज का अन्वेषण

24—(1) जहां कि धारा 22 के अधीन या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर या धारा 23 की उपधारा (3) म निर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की यह राय हो कि इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का काम-काज इस प्रकार संचालित किया जा रहा है जिससे कि सोसाइटी का उद्देश्य विफल हो सकता है या सोसाइटी अथवा उसकी शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या उसका ऐसा कोई अधिकारी जिसका सोसाइटी पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण है, उसके काम-काज का कुप्रबन्ध करने अथवा वैश्वासिक या उसी प्रकार की अन्य बाध्यता को भंग करने का दोषी है तो रजिस्ट्रार, या तो स्वयं अथवा अपने द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के काम-काज का निरीक्षण या अन्वेषण कर सकेगा अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि जब रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो वह सोसाइटी के अथवा उससे संबंधित कोई लेखा पुस्तक तथा अन्य अभिलेख जो उसकी अभिरक्षा में हों, प्रस्तुत करे और उसे ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के सम्बन्ध में सभी सहायता दे।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के काम-काज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी को बुला सकेगा और शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकेगा और प्रत्येक अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी का, जब वह बुलाया जाये, यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षा के लिये उसके समक्ष उपस्थित हो।

(4) यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण, की समाप्ति पर निरीक्षण या अन्वेषण के लिये रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हों, रजिस्ट्रार को अपने निरीक्षण या अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट देगा।

(5) रजिस्ट्रार ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के पश्चात् सोसाइटी या उसके शासी निकाय या उसके किसी अधिकारी को किन्हीं त्रुटियों या अनियमितताओं को, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, दूर करने के लिये ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसे निदेशों के अनुसार कार्रवाई करने में व्यतिक्रम होने की दशा में रजिस्ट्रार यथास्थिति, धारा 12-घ या धारा 13-ख, के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

पदाधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विवाद

25—(1) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रार द्वारा या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा, उसे निर्देश दिये जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन या पद पर बने रहने

के सम्बन्ध में शंका और विवाद की सुनवाई और विनिश्चय संक्षिप्त तौर पर कर सकेगा, और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो उचित समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश से कोई निर्वाचन अपास्त कर दिया जाय अथवा यह तय किया जाय कि कोई पदाधिकारी पद पर बने रहने का हकदार नहीं रह गया है या रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है, तो वह ऐसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का अधिवेशन ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों का निर्वाचन करने के लिये बुला सकेगा और ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता और उसका संचालन रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायगा, और अधिवेशन तथा निर्वाचनों के सम्बन्ध में सोसाइटी के नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिष्कार के साथ लागू होंगे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन बुलाया जाय तो निर्वाचन के प्रयोजन के लिये कोई अन्य अधिवेशन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी के पदाधिकारी होने का दावा करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाया जायगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "विहित प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या न्यायालय अभिप्रेत है ।

दान की शर्तों का अनुपालन किया जाना

26––जहां कि कोई सोसाइटी किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति से धन या किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति का दान या संदान स्वीकार करती है, वहां वह दान या संदान किये गये धन या अन्य सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगी जो ऐसी सहमति देने से तब तक के सिवाय इन्कार कर देगा, जब उसका यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन जिसके लिये दान दिया गया था, सोसाइटी द्वारा निष्पादन किये जाने के योग्य नहीं है ।

27––कोई व्यक्ति जो––

शास्तियां

(क) धारा 4 या 4–क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी सूची या किसी विवरण, या नियमों की अथवा नियमों में परिवर्तन की प्रति या अन्य सूचना में कोई मिथ्या प्रविष्टि या उससे लोप जानबूझकर करेगा अथवा करायेगा ;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई लेखा या विवरण देने में जानबूझकर असफल रहेगा अथवा उक्त उपधारा

के अनुपालन में ऐसी विशिष्टियां देगा जो मिथ्या हैं और जिन्हें वह या तो मिथ्या जानता है या जिनके मिथ्या होने का वह विश्वास करता था या जिनके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता ;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संपरीक्षा के लिये अपना लेखा उपलब्ध कराने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा ;

(घ) धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित कोई लेखा पुस्तक या अन्य अभिलेख पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा;

(ङ) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने में जानबूझकर असफल रहेगा, अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा ;

वह जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

प्रक्रिया

28—कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और न रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश से लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान किया जायगा।

अपराधों का प्रशमन

29—(1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो कि उसने धारा 27 के अधीन दन्डनीय कोई अपराध किया है या जिसके विरुद्ध उस धारा के अधीन कोई अभियोग संस्थित किया गया है, ऐसे अपराध के लिये जिसके ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जाने का सन्देह है या जिसके लिये उस पर अभियोग लगाया गया है प्रशमन फीस के रूप में कोई धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रशमन फीस का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगीं और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग संस्थित किया गया हो तो प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि उसे दोषमुक्त कर दिया जायेगा।

फीस देने की रीति

30—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय फीस ऐसी रीति से दी जायगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

परित्राण

31—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार, रजिस्ट्रार या धारा 24 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के लिये नियुक्त किसी व्यक्ति

के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न होगी।

रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस आदि तामील करने की रीति

32—(1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने वाले कोई नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा जो किसी सोसाइटी या उसके शासी निकाय के लिये हो, सोसाइटी के सचिव पर तामील की जा सकेगी, और जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे सचिव पर तामील किया जाना उतना ही प्रभावी होगा मानो वह, यथास्थिति सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य पर या उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य पर तामील किया गया हो।

(2) सोसाइटी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से ऐसी नोटिस, आदेश या अध्यादेश भेजना सोसाइटी पर पर्याप्त रूप से उसकी तामील माना जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

33—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिये जिसका विस्तारण उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगा, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे उपान्तरों या बातिलकरण के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तर या बातिलकरण उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव डाले बिना होगा।

उद्देश्य और कारण

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के कार्यकरण में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया है। वर्तमान अधिनियम में निम्नलिखित के लिये कोई उपबन्ध नहीं है :—

(1) किसी ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करना जिसका नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के नाम के ठीक समान हो ;

(2) किसी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करना और वह रीति जिसके अनुसार ऐसा परिवर्तन किया जा सकेगा ;

(3) सोसाइटियों के कुप्रबन्ध को रोकने के उपाय ;

(4) कतिपय परिस्थितियों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का विघटन।

(5) कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति;

(6) किसी सोसाइटी के सदस्यों में निर्वाचन सम्बन्धी शंका तथा विवाद को दूर करना ;

(7) अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के लिये शास्ति।

तद्नुसार यह समीचीन समझा गया कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति और कतिपय अन्य संशोधन करने के लिये उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 473 पर)

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ। विधान परिषद् द्वारा निकाले गये शब्द कोष्ठकों "[ ]" में दर्शाये गये हैं तथा उसके द्वारा प्रतिस्थापित शब्द अधोरेखांकित हैं।]

संयुक्त प्रान्त साधारण खंड अधिनियम, 1904 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1904 के दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा 1 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 के (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा 1 की उपधारा (1) में जहां कहीं भी शब्द "संयुक्त प्रान्त" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायें।

धारा 2 का निकाला जाना।

3—मूल अधिनियम की धारा 2 निकाल दी जाय।

धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना।

4—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना।

"3—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों पर लागू होंगे चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाये गये हों।

(2) किसी अधिनियमिति अथवा परिनियत संलेख पर अपने लागू होने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियमिति या संलेख के जिसका निर्वचन किया जाना हो, प्रसंग की किन्हीं प्रतिकूल अपेक्षाओं के अधीन होंगे।"

धारा 4 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 4 में —

(1) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(4-क) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वर्ष से होगा ;";

(2) खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(7-क) 'केन्द्रीय अधिनियम' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;

(7-ख) 'केन्द्रीय सरकार' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;";

(3) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(8 क) 'खण्ड' का तात्पर्य ऐसी धारा या उपधारा के जिसमें वह शब्द आये, अन्तर्विभाजन से (जो उपधारा न हो) होगा;";

(4) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् :—

"(11-क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से होगा;

(11-ख) 'पुत्री' के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि पुत्री का दत्तक ग्रहण अनज्ञात करती हो, 'दत्तक पुत्री' भी आयेगी;

(11-ग) 'दिन' का तात्पर्य अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से होगा;";

(5) खण्ड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(12-क) 'जिला मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से होगा और उसके अन्तर्गत किसी जिले का उप आयुक्त भी होगा;";

(6) खण्ड (18) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं अर्थात्:—

"(19) 'माल' के अन्तर्गत सभी सामग्री, वस्तुयें तथा पदार्थ भी आयेंगे और विद्युत् भी आयेगी;

(19-क) 'सरकार' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार आयेगी;

(19-ख) 'सरकारी प्रतिभूतियों' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से होगा;

(19-ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से होगा",

(7) खण्ड (20) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(21) 'उच्च न्यायालय' या 'उच्च न्यायालय, इलाहाबाद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से होगा;";

(8) खण्ड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(24-क) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में है ;"

(9) खण्ड (25) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(25) 'स्थानीय प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, कैन्टूनमेन्ट बोर्ड, क्षेत्र समिति, गांव सभा या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से जो स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा गांव प्रशासन के प्रयोजनार्थ संघटित किया गया हो या जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियन्त्रण या प्रबन्ध करने के लिये वैध रूप से हकदार हो या जिसे उसका नियन्त्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो, होगा ;

(26) 'स्थानीय निधि' का तात्पर्य ऐसे राजस्व से होगा जिसका प्रबन्ध ऐसे निकाय द्वारा किया जाता हो जिस पर चाहे सामान्यतया कार्यवाहियों के, या विशिष्ट विषयों जैसे अपना बजट स्वीकृत करने, विशिष्ट पदों के सृजित करने या उन्हें भरने की स्वीकृति देने, छुट्टी के, पेंशन के या अन्य नियमों, विनियमों या उपविधियों को बनाने के सम्बन्ध में विधि या विधिसम प्रभावी नियम द्वारा, राज्य सरकार का नियन्त्रण हो, और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य निकाय [या] का राजस्व भी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विशिष्टतया अधिसूचित किया जाय ;";

(10) खण्ड (28) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(28-क) 'माता' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक माता भी आयेगी,";

(11) खण्ड (29) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(29-क) 'अधिसूचना' या 'सार्वजनिक अधिसूचना' का तात्पर्य राज्य के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से होगा, और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा,";

(12) खण्ड (33) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाय, अर्थात् :—

"(33-क) 'विहित' का तात्पर्य उस अधिनियम के अधीन जिसमें वह शब्द आया हो, बनाये गये नियमों द्वारा विहित से होगा ;

(33-ख) 'जनता' के अन्तर्गत जनता का कोई वर्ग या प्रवर्ग भी आयेगा ;";

(13) खण्ड (39) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(39) 'अनुसूचित बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक से होगा ;

(39-क) 'अनुसूचित जातियों' तथा 'अनुसूचित जन-जातियों' के क्रमश : वे ही अर्थ होंगे जो संविधान में हैं";

(14) खण्ड (42) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(42) 'पुत्र' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्र भी आयेगा ;

(42-क) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, और संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, उसके अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज भी आयेगा ;

(42-ख) 'परिनियत संलेख' का तात्पर्य किसी ऐसी अधिसूचना आदेश, स्कीम नियम या उप-विधि में है जो किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गयी हो और विधि का बल रखती हो ;

(42-ग) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा और संविधान के अनुच्छेद 258-क के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपे गये कृत्यों के सम्बन्ध में उसके अन्तर्गत उक्त अनुच्छेद के अधीन केन्द्रीय सरकार को दिये गये, प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी आयेगी ;" ;

(15) खण्ड (44) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् : —

"(44-क) 'अस्थायी अधिनियम' का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से होगा जिसे किसी विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कोई विशिष्ट घटना हो ने पर या किसी विशिष्ट दिन को प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जाना है ;";

(16) खंड (45) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् : —

"(45) 'उत्तर प्रदेश का तात्पर्य संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में तत्समय समाविष्ट समस्त राज्य क्षेत्रों से होगा ;" ;

(17) खण्ड (46) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(46) 'उत्तर प्रदेश अधिनियम' का तात्पर्य ,—

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनायी गयी किसी विधि के सम्बन्ध में ऐसे अधिनियम से होगा जो इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 के या इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 और 1892 के या इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट्स 1861 से 1909 तक के या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1915 के अधीन नार्थ वैस्टर्न प्राविन्सेज और अवध (या आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर-इन-कौंसिल द्वारा या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन संयुक्त प्रान्त के स्थानीय विधान मन्डल या गवर्नर द्वारा या गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय विधान मन्डल या गवर्नर द्वारा बनाया गया हो; और

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनायी गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो राज्य विधान मन्डल द्वारा पारित किया गया हो, और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मन्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी कोई विधि भी आयेगी ; " ;

(18) खण्ड (50) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् : —

"(51) किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में, समय-समय पर यथासंशोधित उस अधिनियम के प्रति निर्देश हो और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की दशा में ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह उच्च न्यायालय द्वारा उस संहिता की धारा 122 के अधीन प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में समय-समय पर किये गये किन्हीं अमिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुये उस संहिता के प्रति निर्देश हो ;

(52) किसी राजस्व डिवीजन, जिला या परगना, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर के किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ऐसे राजस्व डिवीजन जिला या परगना अथवा स्थानीय क्षेत्र की समय-समय पर यथा परिवर्तित सीमाओं सहित उसके प्रति निर्देश हों ;

(53) जिला न्यायाधीश सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों उसके अन्तर्गत यथा स्थिति किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल

न्यायाधीश या अपर मुंसिफ के प्रति निर्देश भी हैं जिसे उस जिला न्यायाधीश द्वारा (जिसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी प्रशासकीय रूप से हो) कोई मामला निपटाने के लिये समनुदेशित किया जाय"।

नयी धारा 4-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय अर्थात् :—

"4-क—प्रत्येक उत्तर प्रदेश अधिनियम में जब कोई शब्द परिभाषित हो तो —

व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पद

(क) वह परिभाषा तब तक लागू होगी जब तक कि अधिनियम के प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(ख) उस शब्द के व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के तदनुरूप अर्थ होंगे।"

नयी धारा 6-क, 6-ख और 6-ग का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं अर्थात् :—

"6-क—किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ठीक उस दिन की समाप्ति पर अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय जिसको वह अवसित हो प्रवर्तन में नहीं रह गया है।

अवसान का प्रभाव

6-ख—जहां कि किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का अवसान हो जाय वहां उस पर धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे कि जिस प्रकार कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसित किये जाने पर लागू होते हैं।

अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली विधि का निरसन अथवा अवसान

6-ग—(1) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्त : स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या विनियम का पाठ संशोधित करता है, और तत्पश्चात् संशोधन अधिनियमिति को निरसित कर दिया जाता है, वहां ऐसे निरसन से, किसी ऐसे संशोधन के जो इस प्रकार निरसित अधिनियमिति द्वारा किया गया हो और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तन में हो, जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) जहां कि पाठ का ऐसा संशोधन किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या किसी अध्यादेश द्वारा अथवा राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट

अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मन्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विधि द्वारा किया जाय, और ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, या अन्य विधि (परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के) पुन : अधिनियमित हुए बिना प्रवर्तन में न रह जाय, वहां तद्द्वारा पाठ में किया गया ऐसा संशोधन भी प्रवर्तन में न रह जायगा।"

धारा 8 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन : संख्याकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुन : संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् : --

"(2) जहां कि किसी अधिनियमिति का संक्षिप्त नाम किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है वहां किसी अन्य अधिनियमिति में उस अधिनियमिति किसी पुराने संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उस अधिनियमिति के नये संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश हो।"

नयी धारा 10-क, 10-ख और 10-ग का बढ़ाया जाना

9--मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात् : --

पार्श्व टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना

"10-क--उत्तर प्रदेश अधिनियम के किसी उपबन्ध की पार्श्व टिप्पणियों और किसी ऐसे उपबन्ध के सामने किसी पूर्ववर्ती अधिनियमिति की संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जायगा कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिये रखे गये हैं और वे अधिनियम का भाग नहीं होंगे।

निगमन का प्रभाव

10-ख--जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी भी प्रकार के शब्दों द्वारा कोई निगमित निकाय संघटित करता है, वहां उस निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से संविदा कर सकेगा और वह, चाहे जंगम या स्थावर सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका निस्तारण कर सकेगा और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

प्रपत्र में रूप भेद

10-ग--जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई प्रपत्र विहित किया जाय, वहां उसमें किंचित रूप भेद जो सार पर प्रभाव न डालता हो या भुलावा देने के लिये प्रकल्पित न हो, उसे अविधिमान्य न बनायेगा।"

धारा 14 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द "राज्य सरकार को" निकाल दिये जायं।

धारा 16 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

11--मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात :--

"16--जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त हो वहां, जब तक कि भिन्न नियुक्ति करने की शक्ति का अन्तर्गत निलम्बित आशय प्रतीत न हो, उस प्राधिकारी को जिसे होना। करने, पदच्युत करने या नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति हो यह शक्ति भी अन्यथा पदावधि समाप्त होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, निलम्बित कर सके, पदच्युत कर सके, हटा सके या अन्यथा उसकी पदावधि समाप्त कर सके।"

नयी धारा 19-क का बढ़ाया जाना

12--मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात् :--

"19-क--जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को किसी कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिये कोई शक्ति दी जाय वहां यह समझा जायगा कि ऐसी समस्त शक्तियां भी दी गयी हैं जो ऐसे कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिये उस व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों।" आनुषंगिक शक्तियां

धारा 20 के ऊपर आये हुए शीर्षक का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 20 के ऊपर आये हुए शीर्षक में शब्द "किये गये आदेशों या बनाये गये नियमों आदि" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रख दिये जायं।

धारा 20 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 20 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिया जाय और --

(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में "शब्द अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उपविधि" जहां कहीं आये हैं उनके स्थान पर शब्द 'परिनियत संलेख" रख दिये जायं ;

(ख) उक्त उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"(2) धारा 4, 4-क, 6, 6-क, 6-ख, 7, 8, 9, 10, 10-क, 10-ग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-क और 28 के उपबन्ध किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी परिनियत संलेख के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

15—मूल अधिनियम की धारा 21 में शब्द "अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-विधियों" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेखों" तथा शब्द "जारी की गयी किन्हीं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपविधियों" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रख दिये जायं। धारा 21 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द "नियम या उपविधियां बनाने या आदेश या अधिसूचनायें जारी करने" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेख जारी करने" तथा शब्द "इस प्रकार बनाये गये नियम या उपविधियां या जारी किये गये आदेश या जारी की गई अधिसूचनायें तब तक प्रभावशील नहीं होंगी" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार जारी किये गये परिनियत संलेख तब तक प्रभावशील न होंगे" रख दिये जायं। धारा 22 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित कर दिया जाय और उसके खंड (1), (2), (3), (4) और (5) क्रमश: खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिये जायें और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात :— धारा 23 का संशोधन

"(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप उस उपधारा के खंड (क) के अधीन प्रकाशित किये जाने के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का दिनांक न होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुये भी जहां कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव देते हुये या एक मास की अवधि के पूर्व के दिनांक से नियम या उप-विधियां बनाना आवश्यक है तो वह कोई ऐसे नियम या उप-विधियां यथास्थिति पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी या, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों के प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का नियत कर सकेगी।"

18—मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात : — नई धारा 23-क का बढ़ाया जाना

नियमों के प्रभावी होने का दिनांक तथा उन पर विधान मन्डल का नियन्त्रण

"23-क—(1) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई पश्चातवर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से,

ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो जाये किन्तु इस प्रकार की कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(2) जहां कि कोई केन्द्रीय अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त या [उसे] लागू हो और ऐसे विषयों से सम्बन्धित हो जिसके सम्बन्ध में राज्य विधान मन्डल को उत्तर प्रदेश के लिए विधियां बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को तद्धीन निगम बनाने की शक्ति प्रवृत्त करता है, वहां ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये नियमों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"।

धारा 24 का संशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 124 में शब्द "जारी की गई कोई अधिसूचना, किया गया कोई आदेश, बनाई गई कोई स्कीम, बनाया गया कोई नियम या प्रपत्र या बनाई गई कोई उप-विधि, जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बनी रहेगी तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति, जारी की गयी किसी अधिसूचना, किये गये किसी आदेश, बनाई गई स्कीम, बनाये गये किसी नियम या प्रपत्र या बनाई गई किसी उपविधि द्वारा अतिष्ठित न कर दिया जाय, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया, जारी किया गया या बनाया गया समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "या जारी किया कोई परिनियत संलेख या बनाया गया कोई प्रपत्र जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति अथवा जारी किये गये किसी परिनियत संलेख या बनाये गये किसी प्रपत्र द्वारा अतिष्ठितन कर लिया जाये, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया या जारी किया गया या बनाया गया समझा जायेगा" रख दिये जायं।

धारा 29 का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 29 में शब्द "किये गये प्रत्येक आदेश, बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाये गये प्रत्येक नियम, बनाई गई प्रत्येक उप विधि, जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना [या बनाये गये प्रत्येक प्रपत्र] के स्थान पर शब्द "या जारी किये गये प्रत्येक परिनियत संलेख" रख दिये जायं।

अनुसूची का निकाला जाना।

21--मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

उद्देश्य और कारण

परिनियत अधिनियमितियों की भाषा को लघुकृत करने और उस दशा में जहां वस्तु विषय में तादात्म्य हो, पदों में एकरूपता की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (जिसे आगे उत्तर प्रदेश अधिनियम कहा गया है), साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा गया है) समनुकूल अधिनियमित किया गया था। केन्द्रीय अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गये किन्तु उत्तर प्रदेश अधिनियम में इस प्रकार के कोई संशोधन नहीं किये गये। यह वांछनीय समझा गया है कि यथासम्भव उत्तर प्रदेश अधिनियम को केन्द्रीय अधिनियम के समनुरूप कर दिया जाय।

2—इसके अतिरिक्त भारत के विधि आयोग ने भी विभिन्न साधारण खण्ड अधिनियमों के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करने के सुझाव रिपोर्ट के प्रारूप में दिये हैं। पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 को संशोधित करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण संस्तुतियां की। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह संस्तुति की है कि उक्त अधिनियम में इस आशय के उपबन्ध होने चाहिये कि यदि किसी अधिनियम के अधीन कोई नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाना अपेक्षित हो तो ऐसे प्रकाशन की अवधि एक मास से कम नहीं होनी चाहिये, किन्तु अत्यावश्यक मामलों में राज्य सरकार को इस बात की शक्ति होनी चाहिये कि वह पूर्व प्रकाशन के बिना भी नियम बना सके अथवा उक्त एक मास की अवधि को कम कर सके। उसने यह भी संस्तुति की है कि ऐसे नियमों को राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जाने की समरूप प्रथा होनी चाहिये। राज्य सरकार ने उपर्युक्त सुझावों तथा संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है।

3—यह भी वांछनीय समझा गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम में कतिपय अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किये जायं जैसे कि राज्य विधान मन्डल के विभिन्न अधिनियमों में सामान्य रूप से रखी जाने वाली कतिपय परिभाषाओं तथा उपबन्धों को उत्तर प्रदेश अधिनियम में ही समाविष्ट करना और उक्त अधिनियम की सभी संगत धाराओं को अधीनस्थ विधायन पर लागू करने की व्यवस्था करना। इस अवसर का लाभ कतिपय अन्य गौण तथा पारिणामिक संशोधन करने के लिये भी उठाया गया है।

4—तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
विधायिका मन्त्री।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 576 पर)

उत्तर प्रदेश चिट फन्ड विधेयक, 1975

राज्य में जन-साधारण के हित में चिट फण्ड को विनियमित करने के लिये और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य में छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय 1

संक्षिप्त नाम बिस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करें और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अनुमोदित बैंक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक से है ;

(2) "चिट" का तात्पर्य किसी ऐसे संव्यवहार से है, चाहे उसे चिट फन्ड, चिट, या कुरी कहा जाय या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसके द्वारा उसका फोरमैन अनेक अभिदाताओं के साथ यह करार करे कि उनमें से प्रत्येक एक निश्चित राशि या निश्चित परिमाण में अनाज या किसी अन्य माल का कालिक किस्तों में उतनी विनिर्दिष्ट कालावधियों के लिये जिनकी संख्या अभिदाताओं की संख्या के बराबर हो, अभिदाय करेगा, और प्रत्येक अभिदाता या उनमें से कुछ लाट द्वारा या नीलाम द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य ऐसी रीति से जो करार में व्यवस्थित हो, अवधारित अपनी बारी आने पर पुरस्कार धनराशि पाने का हकदार होगा ;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के अर्थान्तर्गत कोई संव्यवहार चिट नहीं होगा यदि ऐसे संव्यवहार में—

(क) अभिदाताओं में केवल कुछ ही अभिदाताओं को, न कि सभी को पुरस्कार धनराशि भावी अभिदाय करने के लिये किसी दायित्व के बिना मिले, या

(ख) सभी अभिदाताओं को बारी-बारी से चिट की सम्पूर्ण धनराशि भावी अभिदाय करने के दायित्व सहित मिले ।

दृष्टांत—किसी चिट के 100 अभिदाता हैं, और उनमें से प्रत्येक 10 रुपये का अभिदाय करता है। सभी अभिदाताओं को बारी-बारी से 1,000 रुपये मिलते हैं जो चिट की सम्पूर्ण धनराशि है, और उनका भावी अभिदाय करने का दायित्व है। ऐसा संव्यवहार उपर्युक्त स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अधीन आता है और चिट नहीं है ;

(3) "चिट करार" का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसमें फोरमैन और अभिदाता के बीच चिट के सम्बन्धित करार के अनुच्छेद हों ;

(4) "चिट की धनराशि" का तात्पर्य छूट के लिये अन्यथा कोई कटौती किये बिना या चिट की किसी किस्त के लिये सभी अभिदाताओं द्वारा देय अभिदायों की कुल राशि से है ;

(5) "व्यतिक्रमी अभिदाता" का तात्पर्य ऐसे अभिदाता से है जिसने चिट करार की शर्तों के अनुसार देय अभिदायों के भुगतान में व्यतिक्रम किया हो ;

(6) "छूट" का तात्पर्य यथास्थिति, उस राशि से या अनाज या अन्य माल के उस परिमाण से है जिसे कोई पुरस्कृत अभिदाता चिट करार की शर्तों के अधीन छोड़ने के लिये अपेक्षित हो और जिसे चिट को चलाने के व्यय को पूरा करने अथवा अभिदाताओं में वितरित करने या दोनों के लिये उक्त करार के अधीन पृथक रखा जाय ;

(7) "लाभांश" का तात्पर्य छूट में अभिदाता के उस अंश से है जो चिट की किसी किस्त में अभिदाताओं के बीच आनुपातिक वितरण के लिये चिट करार के अधीन उपलब्ध हो ;

(8) अपने व्याकरणिक रूप भेदों सहित "ड्रा" का तात्पर्य चिट की किसी किस्त में पुरस्कार धनराशि पाने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को अभिनिश्चत करने से है;

(9) "फर्म" का तात्पर्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी फर्म से है ; अधिनियम संख्या 9, 1932

(10) "फोरमैन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत फर्म भी है) से है जो चिट करार के अधीन चिट के संचालन के लिये उत्तरदायी हो, और इसके अन्तर्गत धारा 32 में उल्लिखित परिस्थितियों में चिट के चलते रहने पर फोरमैन के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(11) "अपुरस्कृत अभिदाता" के अन्तर्गत ऐसा अभिदाता नहीं है जिसने चिट करार की शर्तों के अनुसार देय अभिदायों का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो ;

(12) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(13) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर परगना मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) (उप खंड मजिस्ट्रेट) से हैं ;

(14) "पुरस्कार धनराशि" का तात्पर्य चिट की धनराशि और छूट के बीच अन्तर की धनराशि से है, और किसी टिकट के भाग की दशा में टिकट के भाग के अनुपात में चिट की धनराशि और छूट के बीच अन्तर की धनराशि से है, और जहां पुरस्कार धनराशि नगद से भिन्न प्रकार से देय हो वहां पुरस्कार धनराशि का मूल्य उसके देय होने के समय का मूल्य होगा ;

(15) "पुरस्कृत अभिदाता" का तात्पर्य ऐसे अभिदाता से है जिसे पुरस्कार की धनराशि मिली ही, या जो उसका हकदार हो ;

(16) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य धारा 53 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है और इसके अन्तर्गत उस धारा के अधीन नियुक्त और इस अधिनियम के अधीन उसके सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार भी है ;

(17) "विक्रय मूल्य" का तात्पर्य छूट के लिये कोई कटौती किये बिना चिट की किसी किस्त के लिये समस्त अभिदाताओं द्वारा देय अभिदान की कुल धनराशि से है ;

(18) "अभिदाता" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसके पास टिकट का भाग हो, और लिखित समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा टिकट या उसके भाग का अन्तरिती भी है ;

(19) "टिकट" का तात्पर्य चिट में अभिदाता के अंश से है।

अध्याय 2

गठन तथा रजिस्ट्रीकरण

उप विधियों का रजिस्ट्रीकरण

3--(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई व्यक्ति कोई चिट तब तक न तो प्रारम्भ करेगा और न संचालित करेगा जब तक कि उसने ऐसी सामान्य उपविधियों को जिनके अधीन विभिन्न चिट आवलियां चलायी जानी हो, रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकृत न करा दिया हो।

(2) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ चिट आवलियों की सामान्य उप-विधियों जो फोरमैन द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम-से-कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायगी।

(3) रजिस्ट्रार--

(1) यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (2) के अधीन उसके समक्ष दाखिल की गई सामान्य उप विधियां इस अधिनियम या

तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत नहीं है और चिट का संचालन करने के लिये फोरमैन समुचित व्यक्ति है, उप विधियों की रजिस्ट्री कर सकेगा और फोरमैन को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र दे सकेगा ; या

(2) उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (2) के अधीन अपनी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार किन्हीं ऐसी सामान्य उपविधियों का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर देगा जिसमें अभिदाता से लिखित रूप में इस बात का करार करने की व्यवस्था न हो कि चिट फन्ड में अभिदाय की किस्तें मासिक होंगी और अभिदाताओं से प्रत्येक मास में प्राप्त चिट की धनराशि का, छूट काटने के पश्चात् जो चिट की धनराशि के तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, भुगतान पुरस्कृत अभिदाता को किया जायगा और फोरमैन को कमीशन देने के पश्चात् जो चिट की धनराशि के पांच प्रतिशत से अधिक न होगा, छूट अभिदाताओं में अनुपातिक वितरण के लिये उपलब्ध होगी।

(5) रजिस्ट्रार उप विधियों की एक प्रतिलिपि रख लेगा और दूसरी प्रतिलिपि फोरमैन को इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि उप विधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हैं।

(6) किसी संविदा, दस्तावेज या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, फोरमैन और अभिदाता के बीच करार के अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट कोई ऐसा करार जिसमें छूट काटने के पश्चात् चिट की सम्पूर्ण धनराशि पुरस्कृत अभिदाता की भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है, शून्य होगा।

उस चिट के जिसकी उप विधियां रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, अभिदाय के लिये आमन्त्रित करने का प्रतिषेध

4——कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई नोटिस, परिपत्र, विवरणपत्रिका या अन्य दस्तावेज जिसमें किसी चिट की शर्तें तथा निबन्ध न दिये गये हों, या जिससे जनता को किसी चिट में टिकटों के लिये अभिदाय करने के लिये आमन्त्रित किया गया हो, तब तक न तो जारी करेगा और न प्रकाशित करेगा जब तक कि वह धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सामान्य उप विधियों के अधीन किसी चिट से सम्बद्ध न हो।

चिट-करार का प्रारूप।

5——प्रत्येक चिट-करार फोरमैन, द्वारा, तथा अभिदाताओं अथवा अभिदाताओं द्वारा लिखित रूप में तदर्थ सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दो प्रतियों में होगा तथा उसमें निम्निलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् ——

(1) प्रत्येक अभिदाता का पूरा नाम और स्थायी नैवासिक पता ;

(2) प्रत्येक अभिदाता द्वारा धृत टिकटों की संख्या ;

(3) किस्तों की संख्या और प्रत्येक किस्त के लिये प्रत्येक टिकट के सम्बन्ध में देय धनराशि ;

(4) चिट के प्रारम्भ और समाप्त होने का दिनांक ;

(5) पुरस्कृत अभिदाता अभिनिश्चित करने का ढंग ;

(6) उस छूट की धनराशि जिसे पुरस्कृत अभिदाता को किसी किस्त में छोड़ना पड़ेगा ;

(7) वह ढंग जिसके अनुसार और वह अनुपात जिसमें लाभांश फोरमैन का कमीशन और अन्य व्ययों के, यदि कोई हों, रूप में छूट वितरणीय हों;

(8) वह दिनांक, समय तथा स्थान जहां पर चिट ड्रा की जायगी ;

(9) यदि चिट-करार के अधीन फोरमैन चिट की धनराशि का हकदार हो तो वह किस्त जिस पर फोरमैन को चिट की धनराशि मिलेगी ;

(10) अनुमोदित बैंक जिसमें या जिनमें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन फोरमैन द्वारा चिट की धनराशि जमा की जायगी ;

(11) वह रीति जिसके अनुसार चिट उस दशा में जारी रखी जायगी जब ऐसे फोरमैन की, जो एक व्यक्ति हो, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय ; और

(12) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायं ।

चिट-करार का दाखिल किया जाना

6--(1) प्रत्येक चिट-करार, और उसमें धारा 9 के अधीन किये गये प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्द्धन को, उसकी द्वितीय प्रति सहित रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जायगा, जिसे धारा 9 के अधीन करार के रद्द किये जाने की, यदि कोई हो, सूचना भी दी जायगी।

(2) रजिस्ट्रार चिट-करार को रख लेगा और चिट-करार, परिवर्तन या परिवर्द्धन की द्वितीय प्रति को फोरमैन को इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि चिट-करार परिवर्तन या परिवर्द्धन दाखिल कर दिया गया है।

चिट-कारबार प्रारम्भ करना

7--(1) कोई व्यक्ति किसी चिट को नीलाम करने या उसे ड्रा करने का कार्य तब तक प्रारम्भ न करेगा जब तक कि उसने रजिस्ट्रार से प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

(2) रजिस्ट्रार यह समाधान हो जाने पर कि चिट की उप विधियां सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई हैं और चिट-करार जिसके अन्तर्गत उसमें परिवर्तन या परिवर्द्धन, यदि कोई हों, भी है, दाखिल कर दिया गया है और धारा 14 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति फोरमैन द्वारा दे दी गई है, प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देगा।

उप विधियों और चिट-करार की प्रतियों का अभिदाताओं को दिया जाना

8--(1) फोरमैन, धारा 7 में निर्दिष्ट प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र किन्तु चिट के प्रथम बार ड्रा किये जाने के दिनांक तक, न कि उसके पश्चात् प्रत्येक अभिदाता को चिट की उप विधियों की और चिट-करार की प्रति जो उसके द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि प्रमाणित हो, देगा।

(2) फोरमैन, चिट की प्रथम किस्त ड्रा किये जाने वाले मास के अनुवर्ती मास में पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष इस आशय का एक प्रमाण पत्र दाखिल करेगा कि उसने उप धारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया है।

चिट-करार में परिवर्तन

9—फोरमैन और चिट के सभी अभिदाताओं की लिखित सहमति के सिवाय चिट-करार में न तो परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जायगा और न उसे रद्द किया जायेगा।

बैठक

10—(1) प्रत्येक मास में अभिदाताओं के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक विहित रीति से होगी।

(2) अपुरस्कृत और असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं की संख्या के योग के पच्चीस प्रतिशत की मांग पर फोरमैन द्वारा, विहित रीति से अभिदाताओं के सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाई जायगी।

कार्यवाहियों का कार्यवृत्त

11—(1) प्रत्येक ड्रा की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तिका में आमलिखित की जायेंगी और उस पर फौरमैन और समस्त उपस्थित अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। उस पर पुरस्कृत अभिदाता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भी हस्ताक्षर किया जायगा।

(2) ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से दी जायेंगी :—

(1) वह दिनांक और समय जब कार्यवाहियां प्रारम्भ हुई और समाप्त हुई और वह स्थान जहां ड्रा हुआ था ;

(2) चिट की जिस विशिष्ट किस्त की कार्यवाहियां अभिलिखित की जायें, उसकी संख्या ;

(3) उपस्थित अभिदाताओं के नाम ;

(4) वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो विशिष्ट किस्त में पुरस्कार की धनराशि का हकदार हो जाय या हो जायें ;

(5) छूट की धनराशि ;

(6) पूर्ववर्ती किस्त के बारे में पुरस्कार की धनराशि के निस्तारण और किसी पूर्ववर्ती किस्त के बारे में असंदत्त पुरस्कार की धनराशि यदि कोई हो, के निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्ण विशिष्टियां, और

(7) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायं।

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि का रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जाना

12—प्रत्येक फोरमैन, उस मास के जिसमें एक ही चिट की एक या दो किस्तें अथवा किसी अन्य चिट की एक या दो किस्तें ड्रा की जायें, अनुवर्ती मास में पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी सभी किस्तों के ड्रा के सम्बन्ध में धारा 11 में निर्दिष्ट अभिलेख की प्रतिलिपि, जो फोरमैन द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि प्रमाणित हो, दाखिल करेगा।

अध्याय 3

फोरमैन

चिट का मूल्य

13—कोई फोरमैन किसी एक समय में किन्हीं ऐसी चिटों का संचालन नहीं करेगा जिसकी कुल धनराशि फोरमैन की शुद्ध आस्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ फोरमैन की शुद्ध आस्तियों का अवधारण करने में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति की धनराशि को अलग कर दिया जायगा यदि ऐसी धनराशि अभिदाताओं से अग्रिम रूप में प्राप्त अभिदान की धनराशि हो।

फोरमैन द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना

14—(1) प्रत्येक फोरमैन किन्हीं चिट आवलियों के सम्बन्ध में धारा 7 में निर्दिष्ट प्रारम्भ करने के प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करने के पूर्व —

(क) चिट के उचित संचालन के लिये अन्य अभिदाताओं के पक्ष में या उनके लिये न्यासत : एक बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति को भारित करेगा जो रजिस्ट्रार के सन्तोषानुसार विक्रय-मूल्य के दुगुने के बराबर धनराशि को वसूल करने के लिये पर्याप्त हो ;

(ख) किसी अनुमोदित बैंक में विक्रय-मूल्य के बराबर धनराशि जमा करेगा या विक्रय मूल्य के डेढ़ गुने से अन्यून अंकित मूल्य की धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करेगा और इस प्रकार जमा की गई धनराशि या सरकारी प्रतिभूतियां रजिस्ट्रार के पक्ष में अन्तरित करेगा जिसे वह चिट के सम्यक् संचालन के लिये प्रतिभूति के रूप में न्यासत: रखेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जंगम सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में भारित की जाय वहां केवल उस प्रकार की जंगम सम्पत्ति को ही जो विहित की जाय इस प्रकार भारित किया जायगा और ऐसी जंगम सम्पत्ति को ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी के समक्ष जिसे विहित किया जाय, जमा किया जायगा।

(2) जहां फोरमैन एक से अधिक चिट संचालित करता है वहां वह प्रत्येक चिट के सम्बन्ध में उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिभूति देगा।

ऐक्ट संख्या 1, 1956

(3) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 520 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति किसी डिक्री के निष्पादन के लिये या अन्यथा तब तक कुर्क न की जायगी—

(1) जब तक कि चिट समाप्त न कर दी जाय और सभी अभिदाताओं के दावों की पूर्णत: तुष्टि न कर दी जाय ;

(2) जब तक कि रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन फोरमैन द्वारा देय सभी देयों का भुगतान न कर दिया गया हो ;

(3) जहां देय पुरस्कृत धनराशि पुरस्कृत अभिदाता के व्यतिक्रम के कारण चिट समाप्त किये जाने के पश्चात् भी, असंदत्त रहे तो जब तक कि फोरमैन चिट-करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में ऐसी धनराशि जमा न कर दे और इस प्रकार जमा करने की लिखित संसूचना पुरस्कृत अभिदाता को न दे दे।

(4) रजिस्ट्रार चिट समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि उपधारा (3) के खण्ड (1) से (3) में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति के रूप में धारित सम्पत्ति को निर्मुक्त कर देगा अथवा नकद प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूतियों को निर्मुक्त करने का आदेश देगा, और ऐसा करने में वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय।

(5) रजिस्ट्रार किसी फोरमैन के आवेदन पर, उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति निर्मुक्त करने के बजाय उसी फोरमैन द्वारा संचालित की जाने वाली किसी अन्य चिट के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर सकेगा यदि इस प्रकार स्वीकार की गयी प्रतिभूति का मूल्य या उसकी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य या धनराशि से कम हो तो रजिस्ट्रार उस कमी को पूरा करने के लिये फोरमैन के अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगा यदि ऐसी प्रतिभूति का मूल्य या उसकी धनराशि अपेक्षित मूल्य या धनराशि से अधिक हो तो रजिस्ट्रार ऐसे आधिक्य को निर्मुक्त कर देगा।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दी गई प्रतिभूति के सम्बन्ध में फोरमैन चिट के चालू रहने के दौरान कोई संव्यवहार नहीं करेगा, और उसके सम्बन्ध में फोरमैन द्वारा अन्तरण भार, बन्धक या अन्य विल्लंगम के रूप में की गई कार्यवाही शून्य होगी।

फोरमैन के अधिकार

15—इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, फोरमैन —

(क) चिट-करार में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के न होने पर, चिट-करार में तदर्थ विनिर्दिष्ट किस्त पर चिट की धनराशि पाने का ;

(ख) चिट की धनराशि के पांच प्रतिशत से अनधिक उतने कमीशन या पारिश्रमिक का जो चिट करार में निश्चित किया जाय ;

(ग) अभिदाताओं से सभी अंशदान प्राप्त और वसूल करने का ;

(घ) भावी अभिदायों का सम्यक् रूप से भुगतान करने के लिये किसी पुरस्कृत अभिदाता से पर्याप्त प्रतिभूति की मांग करने का ;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ कोई प्रतिभूति पर्याप्त कही जायगी यदि पुरस्कृत अभिदाता द्वारा देय धनराशि से प्रतिभूति का मल्य एक-तिहाई अधिक हो, या यदि प्रतिभूति स्थावर सम्पत्ति के रूप में हो, तो मूल्य ड्योढ़े से अधिक हो।

(ङ) व्यतिक्रमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाता रखने का ; और

(च) ऐसे सभी अन्य कार्य का जो चिट के सम्यक् और समुचित संचालन के लिये आवश्यक हों ;

हकदार होगा।

फोरमैन के कर्तव्य

16—(1) फोरमैन, पुरस्कृत अभिदाता द्वारा भावी अभिदायों का सम्यक् रूप से भुगतान करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति दिये जाने पर, उसे पुरस्कार धनराशि का भुगतान करने के लिये बाध्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि पुरस्कृत अभिदाता पुरस्कार धनराशि का सभी भावी अभिदायों को काटने के पश्चात्, किसी प्रकार की प्रतिभूति के बिना तत्काल भुगतान किये जाने की मांग करने का हकदार होगा, और ऐसी दशा में फोरमैन अगली किश्त के दिनांक के पूर्व चिट-करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में इस प्रकार काटे गये भावी अभिदाय की धनराशि जमा करेगा, और वह इस प्रकार जमा धनराशि को सिवाय भावी अभिदायों के भुगतान के लिये, नहीं निकालेगा।

(2) यदि पुरस्कृत अभिदाता के व्यतिक्रम के कारण किन्हीं देयों के सम्बन्ध में देय पुरस्कार धनराशि आगामी ड्रा के दिनांक के पूर्व असंदत्त रह जाय, तो फोरमैन चिट फन्ड करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक उसे तत्काल जमा करेगा और इस प्रकार जमा करने की संसूचना लिखित रूप में पुरस्कृत अभिदाता और रजिस्ट्रार को देगा।

(3) प्रत्येक पुरस्कार धनराशि के भुगतान, उपधारा (1) के अधीन भावी अभिदायों की धनराशि को जमा करने, और उपधारा (2) के अधीन पुरस्कार धनराशि को जमा करने की संसूचना आगामी ड्रा के समय अभिदाताओं को दी जायगी, और ऐसे भुगतान या जमा की विशिष्टियां ड्रा की कार्यवाहियों के अभिलेख में दर्ज की जायेंगी।

(4) फोरमैन किसी ऐसी धनराशि से जिसके लिये वह धारा 15 के खण्ड (क) और (ख) के अधीन हकदार है, अधिक कोई धनराशि अपने लिये विनियोजित नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन उस ब्याज के सिवाय जो उपधारा (2) के अधीन या धारा 24 के अधीन की गई जमा पर हो बैंकों में जमा किसी धनराशि पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज को, अपने लिये विनियोजित कर सकेगा।

17—प्रत्येक फोरमैन ऐसे रजिस्टर और लेखा-बहियां, ऐसे प्रपत्र में रखेगा जो विहित किये जायें। रजिस्टर और लेखा-बहियां

अधि-नियम संख्या 1, 1956

18—(1) प्रत्येक फोरमैन ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय लेखा-अवधि से सम्बन्धित तुलन-पत्र जो या तो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिये सम्यक रूप से अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा या धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त चिट लेखा-परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से लेखा परीक्षित हो, तैयार करेगा और रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेगा। तुलन-पत्र

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तुलन-पत्र में,—

(क) उसके द्वारा संचालित सभी चिटों की आस्तियों और दायित्वों की संक्षिप्ति होगी;

(ख) ऐसी विशिष्टियां दी जायेंगी जिनसे यह प्रकट हो कि उक्त आस्तियों और दायित्वों का स्वरूप क्या है और उन आस्तियों का मूल्य किस प्रकार निकाला गया है ; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जायं।

19—(1) प्रत्येक फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशि का लेखा-जोखा उन्हें देने के लिये उत्तरदायी होगा। अभिदाताओं के प्रति फोरमैन का दायित्व

(2) जहां एक से अधिक फोरमैन हों तो उनमें से प्रत्येक संयुक्ततः और पृथकतः या यदि फोरमैन कोई फर्म हो तो उसके भागीदारों में से प्रत्येक संयुक्ततः और पृथकत : और यदि फोरमैन कोई निगम हो तो वह निगम, चिट से उद्भूत होने वाली बाध्यताओं के सम्बन्ध में अभिदाताओं के प्रति उत्तरदायी होगा।

20—(1) जहां चिट में फोरमैन के रूप में एक से अधिक व्यक्ति हों तो उनमें से कोई भी चिट समाप्त होने तक उससे प्रत्याहृत नहीं होगा जब तक कि इस प्रकार प्रत्याहृत होने के सम्बन्ध में सभी अपुरस्कृत अभिदाताओं और असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा सम्मति न दे दी जाय और ऐसी सम्मति दिये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर शेष फोरमैनों द्वारा ऐसी सहमति की एक शुद्ध प्रति दाखिल न कर दी जाय। फोरमैन का प्रत्याहृत होना

(2) फोरमैन का ऐसे प्रत्याहरण से धारा 14 के अधीन दी गई प्रति भूति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 4

अपुरस्कृत अभिदाता

अपुरस्कृत अभिदाता अभिदान का भुगतान करेंगे और रसीद प्राप्त करेंगे।

21--प्रत्येक अपुरस्कृत अभिदाता अपने अभिदाय का भुगतान चिट-करार में उल्लिखित समय और स्थान पर करेगा और ऐसा भुगतान करने पर फोरमैन से रसीद पाने का हकदार होगा।

व्यतिक्रमी अभिदाताओं का हटाया जाना

22--(1) (क) ऐसे अपुरस्कृत अभिदाता का नाम जो चिट-करार की शर्तों के अनुसार अपने अभिदान का भगतान करने में व्यतिक्रम करता है, अभिदाताओं की सूची से हटाया जा सकेगा।

(ख) नाम का इस प्रकार हटाया जाना, उसके दिनांक सहित, फोरमैन द्वारा रखी जाने वाली व्यतिक्रमी अभिदाताओं की पुस्तिका में दर्ज किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रमी अभिदाता का नाम हटाये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर फोरमैन --

(क) इस तथ्य का नोटिस ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता को देगा; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेगा।

(3) अभिदाताओं की सूची से अपना नाम हटाये जाने से व्यथित कोई व्यतिक्रमी अभिदाता, हटाये जाने का नोटिस संसूचित किये जाने के सात दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है।

(4) रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे और रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अभिदाता का प्रतिस्थानी

23--(1) फोरमैन अभिदाताओं की सूची में ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता के स्थान पर जिसका नाम धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी सूची से हटा दिया गया हो, किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रतिस्थापन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन व्यतिक्रमी अभिदाता को दिये गये नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत न हो जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रतिस्थापन को उसके दिनांक सहित, धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पुस्तिका में दर्ज किया जायगा, और फोरमैन ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति, ऐसे प्रतिस्थापन के दिनांक के चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष, इस प्रमाण-पत्र के साथ दाखिल करेगा कि चिट की उपविधियों की और चिट-करार की प्रति जो शुद्ध प्रति के रूप में प्रमाणित हो, प्रतिस्थापित अभिदाता को दे दी गई है।

(3) प्रतिस्थापित अभिदाता से वसूल किये गये अभिदाय के सभी बकाया को जिसमें से फोरमैन द्वारा अग्रिम दी गई धनराशि को घटा दिया जायगा, चिट-करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में रजिस्ट्रार के नाम अगली किस्त के दिनांक के पूर्व फोरमैन द्वारा जमा किया जायगा।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "अभिदानों के बकाया" का तात्पर्य प्रतिस्थापित अभिदाता से वसूल की गई सभी पूर्ववर्ती किस्तों से होगा।

व्यतिक्रमी अभिदाता को देय धनराशि के सम्बन्ध में किस प्रकार कार्यवाही की जायगी।

24--(1) जहां कि कोई प्रतिस्थापित अभिदाता पुरस्कार धनराशि आहरित करता है, वहां व्यतिक्रमी अभिदाता अपने अंशदानों को, ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुये, जिसकी व्यवस्था चिट-करार में की जाय और जो किसी भी दशा में ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा पहले से प्राप्त लाभांश से अधिक न होगी वसूल करने का हकदार होगा।

(2) व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा मांग किये जाने पर और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अधिस्वीकृति निष्पादित करने पर, फोरमैन रजिस्ट्रार को सभी कटौतियां करने के पश्चात् देय धनराशि की सूचना देगा और रजिस्ट्रार ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता के पक्ष में चेक या ड्राफ्ट जारी करेगा।

(3) यदि व्यतिक्रमी अभिदाता उपर्युक्त अभिस्वीकृति देने में असफल रहता है तो फोरमैन व्यतिक्रमी अभिदाता को देय धनराशि, अगली किस्त के दिनांक के पूर्व किसी अनुमोदित बैंक में जमा करेगा, और इस प्रकार जमा करने के तथ्य की लिखित संसूचना व्यतिक्रमी अभिदाता और रजिस्ट्रार को देगा। इस प्रकार जमा की गई धनराशि फोरमन द्वारा व्यतिक्रमी अभिदाता को भुगतान किये जाने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं निकाली जायगी।

अध्याय 5

पुरस्कृत अभिदाता

पुरस्कृत अभिदाता प्रतिभूति देगा

25--प्रत्येक पुरस्कृत अभिदाता, सभी भावी अभिदानों की कटौतियां किये बिना पुरस्कार की धनराशि लेने के पूर्व फोरमैन को

पर्याप्त प्रतिभूति देगा और फोरमैन ऐसी प्रतिभूति को भावी अभिदायों का सम्यक् भुगतान करने के लिये लेगा, और यदि फोरमैन पुरस्कृत अभिदाता है या धारा 15 के खण्ड (क) के अधीन चिट की धनराशि आहरित करता है तो वह रजिस्ट्रार के सन्तोषानुसार भावी अभिदायों के सम्यक् भुगतान के लिए प्रतिभूति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन से भिन्न कोई पुरस्कृत अभिदाता जिसकी प्रतिभूति को फोरमैन द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार न किया जाय, उस दिनांक से जब वह पुरस्कृत अभिदाता हो जाय, तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझें, और उस विषय में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

पुरस्कृत अभिदाता नियमित रूप से अभिदाय देगा

26--प्रत्येक पुरस्कृत अभिदाता चिट-करार में उल्लिखित समय और स्थान तथा दिनांकों पर अपना अभिदान नियमित रूप से देगा और ऐसा न करने पर वह सभी भावी अभिदायों का समेकित रूप में तत्काल भुगतान करने का दायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन किसी व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता की ओर से अभिदाय की धनराशि प्रतिमास तब तक देगा जब तक कि ऐसे व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता से बकाया का समेकित भुगतान और सभी भावी किस्तें वसूल न हो जायें और उस धनराशि को फोरमैन ऐसे पुरस्कृत अभिदाता की ओर से अपने द्वारा दिये गये अभिदाय को काटने के पश्चात्, रजिस्ट्रार के लेखे में जमा करेगा ।

समेकित भुगतान की वसूली, और उसका निस्तारण

27--(1) यदि भावी अभिदायों के समेकित भुगतानों के लिये फोरमैन द्वारा लाये गये किसी वाद में, व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता बाद की सुनवाई के लिये नियत दिनांक को या उसके पूर्व, उस दिनांक तक के अभिदायों का बकाया और चिट-करार में उसके लिये व्यवस्थित दर से या बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, इनमें से जो भी कम हो, उस पर ब्याज देने और फोरमैन को भुगतान के लिये बाद-व्यय देने को सहमत हो या न्यायालय में दे तो, किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी न्यायालय तदनुसार डिक्री पारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा वाद वचन-पत्र पर हो तो इस उपधारा के अधीन कोई डिक्री तब तक पारित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे वचन-पत्र में स्पष्ट रूप से यह वर्णित न हो कि तद्धीन देय धनराशि चिट के अभिदायों के भुगतान के सम्बन्ध में है ।

(2) प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित रखने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भुगतान करने का हकदार होगा ।

(3) (क) फोरमैन द्वारा भावी अभिदायों के लिये वसूल किये गये सभी समेकित भुगतान किसी अनुमोदित बैंक में आगामी किस्त के दिनांक के पूर्व जमा किये जायेंगे और उन्हें केवल भावी अभिदायों के भुगतान के लिये ही निकाला जा सकता है।

(ख) जहां कोई सम्पत्ति समेकित भुगतान के बदले में स्वीकार की जाय तो वह भावी अभिदायों के सम्यक् भुगतान के लिये प्रतिभूति के रूप में बनी रहेगी।

अध्याय 6

अन्तरण

फोरमैन के अधिकारों के अन्तरण पर निर्बन्धन

28—(1) पुरस्कृत अभिदाताओं से अभिदाय लेने के फोरमैन के अधिकारों का अन्तरण रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।

(2) कोई ऐसा अपुरस्कृत अभिदाता या असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता जो यह दावा करता हो कि किसी ऐसे अन्तरण से उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अन्तरण को अपास्त करने के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है, और रजिस्ट्रार तदर्थ समाधान हो जाने पर, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसे अपास्त कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार अन्तरिती पर होगा कि अन्तरण से किसी अभिदाता के जिसने उस पर आक्षेप किया हो, हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अपुरस्कृत अभिदाता से अधिकार का अन्तरण लिखित रूप में होगा

29—किसी अपुरस्कृत अभिदाता द्वारा चिट में उसके अधिकारों का प्रत्येक अन्तरण लिखित रूप में होगा जो कम से कम दो साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होगा और फोरमैन को प्रस्तुत किया जायगा।

फोरमैन द्वारा अन्तरण को मान्यता देना

30—धारा 29 के अधीन प्रत्येक अन्तरण को फोरमैन द्वारा मान्यता दी जायगी जब तक कि वह यह न समझे कि अन्तरिती शोधक्षम नहीं है अथवा अन्तरण के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध विफल होते हैं।

पुस्तिका में अन्तरितियों के नाम दर्ज करना

31—धारा 28 या धारा 29 में निर्दिष्ट प्रत्येक अन्तरण फोरमैन द्वारा चिट पुस्तिका में तुरन्त दर्ज किया जायगा और फोरमैन, ऐसी प्रविष्टि करने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर ऐसी प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा जिसके साथ यह प्रमाण-पत्र होगा कि चिट की उपविधियों और चिट-करार की प्रति, जो शुद्ध प्रति के रूप में प्रमाणित हो, सम्बद्ध अन्तरिती को दे दी गई है।

अध्याय 7

चिटों की समाप्ति

कतिपय दशाओं में चिटों को जारी रखने के लिये उपबन्ध

32—(1) जहां ऐसे किसी फोरमैन की, जो व्यक्ति है, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय तो चिट को चिट-करार के उपबन्धों के अनुसार, जहां करार में ऐसी व्यवस्था हो, जारी रखा जा सकता है ।

(2) ऐसे किसी फोरमैन की दशा में जो फर्म हो, यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय तो चिट-करार में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के न होने पर चिट को समाप्त हुआ नहीं समझा जायगा और उत्तरजीव भागीदार चिट का संचालन करेगा या करेंगे ।

चिट की समाप्ति

33—कोई चिट समाप्त हुई समझी जायगी —

(क) जब चिट-करार में नियत अवधि समाप्त हो गई हो, परन्तु यह तब जब कि सभी अभिदाताओं को देयों का भुगतान पूरा कर दिया गया हो; या

(ख) जब सभी अपुरस्कृत तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता चिट समाप्त करने के लिये लिखित रूप से सम्मति दें और सम्मति की प्रति धारा 34 की अपेक्षानुसार दाखिल कर दी जाय ; या

(ग) जब ऐसे फोरमैन की, जो व्यक्ति हो, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय और चिट-करार में चिट को जारी रखने की व्यवस्था न हो या जब फोरमैन जो कि फर्म है, के भागीदार की मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय और चिट-करार में ऐसी दशा में चिट को बन्द कर देने की व्यवस्था हो ।

रजिस्ट्रार के समक्ष सम्मति दाखिल करना

34—धारा 20 की उपधारा (1) या धारा 33 के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक सम्मति की, उसके दिनांक सहित, एक शुद्ध प्रति, ऐसी सम्मति दिये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर फोरमैन या शेष फोरमैन या फोरमैनों द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायगी ।

अपुरस्कृत अभिदाताओं के अंशदान का लौटाया जाना

35—धारा 33 खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट दशाओं के सिवाय—

(1) प्रत्येक अपुरस्कृत अभिदाता, जब तक कि चिट-करार में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, चिट की समाप्ति पर, उसके द्वारा प्राप्त लाभांश को, यदि कोई हो, काटे बिना, अपना अंशदान वापस पाने का हकदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी अपुरस्कृत अभिदाता के अधिकार धारा 29 के अधीन अन्तरित किये जाय, अपने अंशदानों के अतिरिक्त, जब तक कि चिट-करार में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो,

ऐसे अपुरस्कृत अभिदाता द्वारा दिये गये अंशदानों को वापस पाने के लिए हकदार होगा।

(2) यदि चिट-करार में मूलतः नियत दिनांक के पूर्व दिनांक को चिट समाप्त हो जाय तो अपुरस्कृत अभिदाता का दावा उस दिनांक से उद्भूत समझा जायगा जब उसे इस प्रकार समाप्त करने का नोटिस प्राप्त हो।

अभिदाताओं के देय चिट आस्तियों पर प्रथम भार होंगे

36—जहां चिट के सम्बन्ध में फोरमैन द्वारा ऋण देय हो और उसके द्वारा अन्य ऋण भी देय हों वहां अभिदाताओं को देय चिट सम्बन्धी ऋण चिट आस्तियों पर प्रथम भार होंगे।

अध्याय 8

दस्तावेजों का निरीक्षण

फोरमैन अभिदाताओं को चिट के अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुज्ञा देगा

37—प्रत्येक फोरमैन, पांच रुपये से अनधिक ऐसी फीस जो चिट-करार में विनिर्दिष्ट की जाय, देने पर, पुरस्कृत तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं को चिट ड्रा किये जाने के सभी दिन अथवा ऐसे दिन तथा ऐसे समय के भीतर जिसकी चिट-करार में व्यवस्था की जाय, पुरस्कृत अभिदाताओं से लिये गये या अभिदाता की हैसियत से स्वयं फोरमैन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिभूति-पत्रों और दस्तावेजों, रसीदों तथा अन्य अभिलेखों और सभी चिट-अभिलेखों का जिसके अन्तर्गत लेखा-बहियां, पास बुक, तुलन-पत्र और लाभ-हानि का लेखा तथा ऐसे अन्य अभिलेख जिनसे चिट योजना की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो, भी है निरीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें देगा।

फोरमैन द्वारा चिट अभिलेखों का परिरक्षण

38—चिट सम्बन्धी सभी अभिलेख फोरमैन द्वारा अविकल रूप में परिरक्षित किये जायेंगे और चिट समाप्त होने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे।

चिट पुस्तिकाओं तथा अभिलेखों का निरीक्षण

39—(1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी चिट-पुस्तिकाओं और चिट सम्बन्धी सभी अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है।

(2) प्रत्येक फोरमैन रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर, जैसी वह अपेक्षा करे, चिट-पुस्तिकाओं और अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा और उसे कोई अन्य सूचना जिसकी वह अपेक्षा करे, देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण फोरमैन के भू-गृहादि पर किया जा सकता है यदि वह अग्रिम रूप से ऐसी फीस दे जो निरीक्षण के लिये विहित की जाय :

ऐक्ट संख्या 1, 1949

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि फोरमैन बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी हो तो ऐसा निरीक्षण केवल कम्पनी के भू-गृहादि पर और केवल कार्य-दिवस को ही किया जायगा और ऐसा फोरमैन ऐसी फीस देगा जो निरीक्षण के लिये विहित की जाय।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत की गई किन्हीं लेखाबहियों या दस्तावेजों को ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, परिबद्ध कर सकता है और अपनी अभिरक्षा में रख सकता है : प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी —

(क) लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को परिबद्ध करने के अपने कारणों को अभिलिखित किये बिना ऐसा नहीं करेगा ; या

(ख) सिवाय पर्याप्त तथा अपवादिक कारणों के जो अभिलिखित किये जायेंगे, अवकाश के दिनों को अपवर्जित करते हुए पन्द्रह दिन से अधिक अवधि के लिये और रजिस्ट्रार से भिन्न अधिकारी की दशा में रजिस्ट्रार से तदर्थ लिखित अनुमोदन लिये बिना अपनी अभिरक्षा में किन्हीं ऐसी पुस्तिकाओं या दस्तावेजों को नहीं रखेगा।

अध्याय 9

चिटों का परिसमापन

चिट कब परिसमापित की जा सकती है

40—चिट ऐसे विहित प्राधिकारी द्वारा जिसकी उस स्थान पर जहां चिट रजिस्ट्रीकृत की गयी हो, अधिकारिता हो, परिसमापित की जा सकती है, यदि —

(क) चिट धारा 33 के खण्ड (ग) के अधीन समाप्त हो गयी है ; या

(ख) फोरमैन धारा 14 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देने में असफल रहता है या यदि वह उसके सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जिससे प्रतिभूति के स्वरूप या उसके मूल्य में तात्विक रूप से ह्रास हो सकता है ; या

(ग) फोरमैन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चिट की धनराशि जमा करने में असफल रहता है ; या

(घ) विहित प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध हो जाय कि फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है ; या

(ङ) चिट से किसी अभिदाता को देय धनराशियों के सम्बन्ध में उसके पक्ष में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश पर जारी किया गया निष्पादन या अन्य आदेशिका पूर्णत: या आंशिक रूप में अतुष्ट लौटा दी जाती है; या

(च) यह साबित हो जाय कि पुरस्कृत अभिदाताओं से प्रत्याभूतियां लेने के मामले में फोरमैन की ओर से कपट या दुस्संधि की गयी है ; या

(छ) फोरमैन ने भावी अभिदायों के लिये पर्याप्त प्रत्याभूति दिये बिना, अभिदाता की हैसियत से पुरस्कार की धनराशि विनियोजित की है ; या

(ज) यह अन्यथा न्यायसंगत और साम्योचित हो कि चिट परिसमापित कर दी जानी चाहिये।

स्पष्टीकरण:—खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ यह अवधारित करने में कि क्या फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशियां देने में असमर्थ है, विहित प्राधिकारी चिट के सम्बन्ध में उसके समाश्रित तथा भावी दायित्वों को ध्यान में रखेगा :

अधिनियम संख्या 1, 1956

प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अर्थान्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा संचालित चिट केवल उस न्यायालय द्वारा जिसकी उस अधिनियम के अधीन अधिकारिता हो, परिसमापित की जा सकती है।

अधिनियम संख्या 5, 1908

41—चिट के परिसमापन के लिए, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या न्यायालय को आवेदन किसी अपुरस्कृत अभिदाता या असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा याचिका के रूप में दिया जायेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगी, और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जायें : परिसमापन के लिए आवेदन-पत्र

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 40 के खण्ड (घ) या खण्ड (ज) के अधीन चिट के परिसमापन के लिये कोई आवेदन तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि ऐसी याचिका —

(क) ऐसे अपुरस्कृत अभिदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा जिनके चिट में अभिदायों का योग समस्त अपुरस्कृत अभिदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा असंदत्त धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, या

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी पूर्व स्वीकृति से, प्रस्तुत न की जाय।

स्पष्टीकरण:—इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनार्थ टिकट के भिन्नांश का अभिदाता केवल उस भिन्नांश तक ही अभिदाता समझा जायगा ।

ऐक्ट संख्या 5, 1920

42—धारा 40 तथा 41 में किसी बात के होते हुए भी, चिट के परिसमापन के लिये विहित प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा धारा 40 के अधीन कोई याचिका ग्रहण नहीं की जायगी, यदि फोरमैन को दिवालिया न्यायनिर्णीत करने के लिये प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, 1920 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाहियां विचाराधीन हों अथवा जहां फोरमैन कोई कम्पनी हो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन उस कम्पनी के परिसमापन के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाहियां विचाराधीन हों । दिवाला या समापन परिसमापन कार्यवाहियों को वर्जित करेंगी

परिसमापन आदेश का प्रारम्भ और प्रभाव

43—किसी चिट के परिसमापन का आदेश उन सभी अभिदाताओं के पक्ष में प्रवर्तित होगा जिन्हें चिट से धनराशियां देय हों और वह परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय से प्रभावी समझा जायगा।

अन्तरिम रिसीवर तथा अन्य कार्यवाहियों का रोका जाना

44—विहित प्राधिकारी या न्यायालय फोरमैन के या किसी ऐसे अभिदाता के जिसे चिट के सम्बन्ध में धनराशि देय हो, आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन चिट के परिसमापन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, अन्तरिम रिसीवर नियुक्त किये जाने का, अथवा चिट के सम्बन्ध में देय लेखों की वसूली के लिये फोरमैन के विरुद्ध संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में अग्रेतर कार्यवाहियों को ऐसी शर्तों पर जिन्हें विहित प्राधिकारी या न्यायालय उचित समझे, रोकने का आदेश दे सकता है।

आवेदन-पत्र की सुनवाई पर न्यायालय की शक्तियां

45—आवेदन की सुनवाई पर विहित प्राधिकारी या न्यायालय उसे खर्च सहित या बिना खर्च के खारिज कर सकता है अथवा सशर्त या बिना शर्त के सुनवाई स्थगित कर सकता है या अन्तरिम आदेश या कोई अन्य आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

वितरण के लिये चिट आस्तियां विहित प्राधिकारी या न्यायालय में निहित होंगी

46—चिट के परिसमापन का आदेश दिये जाने पर चिट की सम्पूर्ण आस्तियां उन अभिदाताओं में वितरण के लिये, जिन्हें चिट के सम्बन्ध में धनराशियां देय हों, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या न्यायालय में निहित हो जायेंगी और ऐसा विहित प्राधिकारी या न्यायालय रिसीवर नियुक्त करेगा तथा इस विषय में ऐसे आदेश देगा, जो वह उचित समझे।

परिसमापन के आदेशों पर वाद आदि का रुक जाना

47—जहां विहित प्राधिकारी या किसी न्यायालय द्वारा कोई परिसमापन आदेश दिया गया हो, वहां चिट के सम्बन्ध में अभिदाता को देय धनराशि की वसूली के लिये अभिदाता द्वारा फोरमैन के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां सिवाय विहित प्राधिकारी या न्यायालय की अनुमति से और ऐसी शर्तों पर जिन्हें विहित प्राधिकारी या न्यायालय अधिरोपित करे, न तो जारी रखी जायगी और न प्रारम्भ की जायेंगी।

आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायगी

48—(1) परिसमापन आदेश के दिये जाने पर, परिसमापन कार्यवाहियों के याची का और रिसीवर का यह कर्त्तव्य होगा कि वे आदेश की एक प्रति, आदेश दिये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करें :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार ऐसे याची या रिसीवर के लिखित आवेदन पर, स्वविवेकानुसार, ऐसी कोई प्रति दाखिल करने के लिये पन्द्रह दिन से अनधिक का और समय दे सकता है।

(2) परिसमापन आदेश की प्रति दाखिल करने पर रजिस्ट्रार चिट से सम्बन्धित अपनी पुस्तिकाओं में उसके बारे में दर्ज करेगा और उसे सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।

फोरमैन के दिवालिया होने पर परिसमापन कार्यवाहियों का स्थगन और दिवाला विषयक कार्यवाहियों का अन्तरण

49--(1) जहां चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान फोरमैन दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाय अथवा जब फोरमैन कोई कम्पनी हो उस कम्पनी को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन परिसमापन का आदेश दिया जाय तो इस अधिनियम के अधीन परिसमापन कार्यवाहियां समाप्त हो जायेंगी, और धारा 36 और 44 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चिट आस्तियों का वितरण, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय या कम्पनी को परिसमापित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जायगा।

(2) जहां फोरमैन के विरुद्ध दिवाला विषयक कार्यवाहियां विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हों तो उच्च न्यायालय किन्हीं कार्यवाहियों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अन्तरित कर सकता है।

तुच्छ या तंग करने वाले आवेदन के लिये प्रतिकर

50--(1) जहां चिट के परिसमापन के लिये दिया गया आवेदन खारिज कर दिया जाय और विहित प्राधिकारी या न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो विहित प्राधिकारी या न्यायालय आवेदक के विरुद्ध पांच सौ रुपये से अनधिक उतनी धनराशि अधिनिर्णीत कर सकता है जिसे वह आवेदन और उसके सम्बन्ध में कार्यवाहियों के कारण फोरमैन की हुई क्षति या व्यय के लिये फोरमैन को दिया जाने वाला युक्तियुक्त प्रतिकर समझे, और ऐसी धनराशि इस प्रकार वसूल की जायेगी मानों अभिनिर्णय कोई डिक्री हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अभिनिर्णय से प्रतिकर का कोई पृथक वाद वर्जित हो जायेगा।

अपील करने का अधिकार

51--(1) कोई व्यक्ति जो चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में, विहित प्राधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के विनिश्चय या आदेश से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश के दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी कार्यवाहियों में विहित प्राधिकारी या न्यायालय का प्रत्येक विनिश्चय या आदेश अन्तिम होगा।

परिसीमा

52--(1) जहां इस अधिनियम के अधीन चिट को परिसमापित करने से इन्कार करने का आदेश दिया जाय वहां अपुरस्कृत अभिदाताओं के सम्बन्ध में चिट को उक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से ऐसे आदेश के दिनांक तक निलम्बित समझा जायगा और चिट करार में किसी बात के होते हुये भी ऐसे किसी अपुरस्कृत अभिदाता को जो परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को व्यतिक्रमी नहीं था; उसके खारिज किये जाने के दिनांक को व्यतिक्रमी नहीं समझा जायगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन चिट को परिसमापित करने से इन्कार करने का आदेश दिया गया हो, वहां उस वाद या आवेदन जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी या न्यायालय की अनुमति ले ली गयी हो, भिन्न किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों के लिये जो लायी गई हों, या संस्थित की गयी हों, विहित परिसीमा काल की संगणना में से चिट के परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से उसे इन्कार करने के आदेश के दिनांक तक की अवधि निकाल दी जायगी।

(3) इस अधिनियम की किसी बात से ऐसी शेष धनराशि के लिये, यदि कोई हो, जो अभिदाता को चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में अन्तिम लाभांश घोषित किये जाने के पश्चात् देय हो, फोरमैन के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद या आवेदन द्वारा कार्यवाही करने के अभिदाता के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी ऐसे वाद या आवेदन के लिये विहित परिसीमा काल की संगणना में से चिट के परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से अन्तिम लाभांश घोषित किये जाने के दिनांक तक की अवधि निकाल दी जायगी।

अध्याय 10

अधिकारी, निरीक्षण और फीस

रजिस्ट्रार और लेखा-परीक्षक

53--(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा चिट रजिस्ट्रार और उतने अपर, संयुक्त, उप तथा सहायक रजिस्ट्रार जितने आवश्यक हों, नियुक्त कर सकती है।

(2) अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो रजिस्ट्रार तदर्थ विनिर्दिष्ट करे।

(3) रजिस्ट्रार उतने चिट लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकता है जितने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन चिट-लेखा परीक्षकों पर अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

(4) जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि किसी चिट के लेखे उचित रूप से रखे नहीं जाते हैं और लेखों की लेखा-परीक्षा की जानी चाहिये वहां ऐसे लेखों की किसी चिट लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा करना उसके लिये विधिपूर्ण होगा। सम्बद्ध चिट के फोरमैन का यह कर्त्तव्य होगा कि वह चिट लेखा-परीक्षक के समक्ष चिट से सम्बन्धित सभी लेखों, पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करें, उसे ऐसी सूचना दे जिसकी अपेक्षा की जाय, और उसे ऐसी सभी सहायता तथा सुविधायें दे जो आवश्यक या युक्तियुक्त हों

और जिनकी चिट के लेखों की परीक्षा करने के सम्बन्ध में अपेक्षा की जाय,

(5) फोरमैन उपधारा (4) के अधीन चिट के लेखों की परीक्षा के लिए चिट लेखा-परीक्षकों को ऐसी फीस देगा जो विहित की जाय।

रजिस्ट्रार एकल निगम होगा

54--चिट रजिस्ट्रार शाश्वत उत्तराधिकार वाला एकल निगम होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण

55--कोई व्यक्ति ऐसी फीस देने पर जो विहित की जाय --

(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये किन्हीं दस्तावेजों या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है ; और

(2) ऐसे किसी दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति या उसके उद्धरण ले सकता है।

फीस का उदग्रहण

56--(1) रजिस्ट्रार को--

(क) धारा 3 के अधीन चिट की उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण,

(ख) धारा 7 के अधीन कारोबार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देने.

(ग) रजिस्ट्रार के समक्ष चिट करार और धारा 12, 22, 23, 31 और 34 के अधीन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दाखिल करने,

(घ) धारा 55 के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने,

(ङ) धारा 55 के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां या उससे उद्धरण लेने,

(च) फोरमैन के लेखों की लेखा-परीक्षा करने और लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र देने, तथा

(छ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायं,

के लिये ऐसी फीस दी जायगी जो विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय फीस की सारिणी सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

अपील

57--(1) कोई फोरमैन जो रजिस्ट्रार के ऐसे आदेश से व्यथित हो जिसके द्वारा --

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन चिट की उपविधियों की रजिस्ट्री करने से इन्कार किया गया हो,

(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किया गया हो,

(ग) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन या धारा 25 के अधीन प्रस्तावित प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार किया गया हो,

(घ) धारा 14 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रतिभूति के रूप में भारित सम्पत्ति को निर्मुक्त करने से या नकद प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूतियों को निर्मुक्त करने का आदेश देने से इन्कार किया गया हो, या

(ङ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अन्तरण की स्वीकृति देने से इन्कार किया गया हो,

वह ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ सशक्त हों, अपील कर सकता है ।

(2) राज्य सरकार या यथा उपर्युक्त ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अपीलार्थी और रजिस्ट्रार अथवा उसके प्रतिनिधि की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे, और इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कतिपय मामलों में विलम्ब को उपमर्षित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

58--रजिस्ट्रार, स्वविवेकानुसार और धारा 22 की उपधारा (2), धारा 23 की उपधारा (2), धारा 31 या धारा 34 में विनिर्दिष्ट चौदह दिन की अवधि के भीतर किसी फोरमैन द्वारा लिखित आवेदन देने पर, फोरमैन को ऊपर निर्दिष्ट किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी दस्तावेज की प्रति दाखिल करने के लिये पन्द्रह दिन से अनधिक का अतिरिक्त समय दे सकता है ।

शास्तियां

59--(1) जो कोई धारा 3, धारा 4 या धारा 7 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या

जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई फोरमैन जो युक्तियुक्त कारण के बिना --

(क) धारा 6 की अपेक्षानुसार चिट करार या उसमें किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन को या धारा 12, धारा 22 की उपधारा (2), धारा 23 की उपधारा (2), धारा 31 या धारा 34 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रति को उसे दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इस प्रकार दाखिल करने के लिये धारा 58 के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर दाखिल करने में असफल रहेगा, या

(ख) धारा 8, धारा 14 की उपबन्ध (1) और (6), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 27 की उपधारा (3), धारा 31, धारा 37, धारा 38 धारा 39 और धारा 53 की उपधारा (4) के किन्हीं उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा, या

(ग) उस दिनांक, समय और स्थान के सम्बन्ध में जिस पर चिट निकाली जानी हो, चिट-करार की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों द्वारा या उनके किन्हीं प्रयोजनों के लिये अपेक्षित किसी दस्तावेज में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) रजिस्ट्रार, कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी अपराध का शमन कर सकता है तथा ऐसी शमन फीस जो वह उचित समझे प्रतिगृहीत कर सकता है और तत्पश्चात् अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाहियां नहीं की जायंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

60--कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अपराध का संज्ञान

जुर्माने का उपयोग

61—इस अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला न्यायालय या धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध का शमन करने वाला रजिस्ट्रार यह निदेश दे सकता है कि वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग कार्यवाहियों के खर्चे में या उसका भुगतान करने के प्रति उपयोग किया जाय ।

किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा दस्तावेज आदि अभिगृहीत करने की शक्ति

62—(1) रजिस्ट्रार ऐसी सहायता से जिसे वह आवश्यक समझे किसी ऐसे स्थान में जिसके बारे में उसे यह सन्देह हो कि वहां किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके चिट का संचालन किया जा रहा है या किया गया है, प्रवेश कर सकता है और ऐसी पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, लेखे या अन्य दस्तावेजों का जो उस स्थान पर मिलें, निरीक्षण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि रजिस्ट्रार उस स्थान से कोई पुस्तिका, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज हटाता है तो वह उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति को रसीद देगा जिसमें इस प्रकार हटाई गई पुस्तिका, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज का उल्लेख होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उस स्थान से पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, लेखों तथा दस्तावेजों को हटाने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार या तो ऐसे व्यक्ति से पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, लेखों तथा दस्तावेजों को जब उसके द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिये ऐसी प्रतिभूति, जिसे वह आवश्यक समझे, लेने के पश्चात् उन्हें उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से उन्हें हटाया गया था, लौटा देगा अथवा उनका निस्तारण करने के लिये ऐसा आदेश दे सकता है जो उसे न्यायसंगत और उपयुक्त प्रतीत हो ।

(2) रजिस्ट्रार को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि उसके पास किसी चिट के सम्बन्ध में कोई सूचना है, अपने समक्ष उपस्थित होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने की अपेक्षा करने और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने का प्राधिकार होगा ।

(3) रजिस्ट्रार किसी थाने के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये आवेदन कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी पुलिस अधिकारी को साथ चलने और सहायता देने के लिए ले जा सकता है ।

भुगतान दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित होगा

63—किसी चिट के सम्बन्ध में सभी भुगतान, चाहे वह फोरमैन द्वारा किये जाएं या अभिदाता द्वारा, लिखित रूप में दस्तावेजों द्वारा साक्ष्यित होंगे ।

बारह प्रतिशत से अधिक ब्याज की अनुज्ञा नहीं दी जायगी

64—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले दावों पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज से अधिक ब्याज अधिनिर्णीत नहीं करेगा ।

कतिपय मामलों में अनुतोष देने की न्यायालय की शक्ति

65—इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात से, चिट-करार में दिये गये किन्हीं उपबन्धों के विरुद्ध कोई अनुतोष देने के लिए, यदि वे अयुक्तिसंगत या किसी विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, न्यायालय में निहित शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फोरमैन द्वारा देय धनराशियों की वसूली

66—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को फोरमैन द्वारा किसी फीस के रूप में देय समस्त धनराशियां भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होंगी।

अधिनियम का लागू होना

67—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध, अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व शुरू की गई चिटों पर इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे कि ऐसी चिटों की दशा में चिट आरम्भ या संचालित करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ से तीन मास के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

(2) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी चिट पर जिसकी चिट-धनराशि, या जहां एक ही फोरमैन द्वारा एक साथ दो या उससे अधिक चिटें आरम्भ या संचालित की जाएं, तो जिनकी चिट की धनराशि का योग, एक सौ पग्रे से अधिक न हो, लागू न होंगी।

छूट देने की शक्ति

68—राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को या ऐसी किसी चिट या किसी वर्ग की चिटों को जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, इसके सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है, और किसी ऐसी अधिसूचना को रद्द या परिष्कृत कर सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

69—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टत : और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था या विनियमन किया जा सकता है —

(क) विहित किये जाने के लिये इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्तत : अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय ;

(ख) वह रीति जिसके अनुसार अभिदाताओं के सामान्य निकाय की सामान्य और विशेष बैठक बुलायी जायेगी और होगी ;

(ग) वे विषय जिनके सम्बन्ध में चिट की उप विधियों में व्यवस्था की जायेगी और उप विधियां बनाने, उनकी रजिस्ट्री कराने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें निराकृत करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, और इस प्रकार बनाने, रजिस्ट्रीकरण कराने, परिवर्तन या निराकरण करने के पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें ;

(घ) वे विशिष्टियां जो प्रत्येक चिट-करार में दी जायेंगी ;

(ङ) धारा 14 के अधीन प्रतिभूति की प्रयोजनार्थ अनाज-चिट में रजिस्ट्रार द्वारा अनाज के मूल्यांकन का ढंग ;

(च) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वह रीति जिसके अनुसार, धारा 14 के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति में परिवर्तन या उससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है;

(छ) धारा 14 के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) फोरमैन द्वारा रजिस्टरों और लेखा-पुस्तिकाओं का रखा जाना, रजिस्ट्रार के कार्यालय में पुस्तिकाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा और ऐसी पुस्तिकाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों को नष्ट करना जिनकी आगे आवश्यकता न रह जाय।

(झ) अध्याय 9 के अधीन चिट के परिसमापन के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, और

(ञ) चिटों के तुलन-पत्रों और लाभ-हानि के लेखों की लेखा परीक्षा और लेखा-परीक्षा के प्रमाण-पत्र।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी, रखे जायंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मन्डल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

इस समय, इस राज्य में चिट फन्डों को विनियमित करने के लिये कोई विधि नहीं है। चिटों में अभिदाताओं के हितों को अनुचित शोषण से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि चिट फन्डों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने और उनके कारबार विनियमित करने के लिये विधि बनाया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश चिट फन्ड विधेयक, 1975 पुर:स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मन्त्री।

विधान भवन

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 208 वि0 सभा (657)—1975—845.